

# कार्यालय जिला परिषद, श्रीगंगानगर

क्रमॉक :- जिपग/स्था/ 4832

दिनॉक :- 29/6/10

विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त. जिला श्रीगंगानगर।

विषय:- पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायतों में कार्य करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयार्न्तगत लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबीसी 14195/2017 राजस्थान सरपंच एसोसिऐशन. ब्रांच हनुमानगढ बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23.01.2018 के अनुसार पंचायत क्षेत्र में कार्यरत समस्त पंचायत सहायक आगामी आदेशों तक ग्राम पंचायत में कार्य करेंगें। उक्तानुसार समस्त विकास अधिकारी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही किया जाना स्निश्चित करें।

> (चिन्मयो मोपाल) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, श्रीगंगानगर दिनांक:-29

क्रमांकः- जिपग/स्था/ 4833-38 प्रतिलिपिः- पालनार्थ।

- 1. श्रीमान आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगगानगर।
- 4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार अधिनस्थ ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों एवं पदेन पंचायत शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करें।

(चिन्मयी मोपाल) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, श्रीगंगानगर

## कार्यालय जिला परिषद,दौसा

क्रमांकः जिपदौ / संस्थापन / 2018 / 1152-57

दिनांक:- 05 7)2018

विकास अधिकारी पंचायत समिति लालसोट/दौसा/लवाण/ सिकराय/बॉदीकुई/महवा।

विषय:- ग्राम पंचायत सहायको को मानदेय भुगतान बाबत्।

प्रसगः– श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) राजस्थान, जयपुर के परिपत्र कमांकः एफ.4()एमटीडब्ल्यू/ विधि/पंरावि/2016/832 दिनांकः 08.11.2016 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत सहायकों के द्वारा एक प्रार्थना पन्न पेश कर विगत तीन—चार माह से मानदेय भुगतान नही किये जाने के कारण मानदेय भुगतान हेतु निवेदन किया गया है। इस सन्दर्भ में विभागीय प्रासंगिक परिपन्न के दिशा—निर्देशों के कम में आपको निर्देश दियें जातें है कि ग्राम पंचायत सहायकों को देय मानदेय राशि का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाले राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद में से समय पर करवाया जाना सुनिश्चित करें।

> (राजेन्द्र प्रसाद-चतुर्वेदी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा

कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति सांचोर जिला जालोर कमांक /944 दिनांक 7.10.17

प्रेषिति :--

समस्त सरपंच/ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव .

ग्राम पंचायत समस्त

विषय :-- ग्राम पंचायत सहायको को कार्यमुक्त करने बाबत ।

प्रसंग :- श्रीमान शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर का अ०शा० पत्रांक प 15(1) प्राशि/जयपुर दिनांक 20.09.2017 एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर के पत्रांक जिपजा/संस्था/2017/5964 दिनांक 03.10.2017 के सन्दर्भ मे ।

उपरोक्त प्रासंगिक निर्देशानुसार लेख है कि आपकी ग्राम पंचायत के अधीन समस्त ग्राम पंचायक सहायको को पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु कार्यमुक्त कर पालनार्थ रिपोर्ट अतिशिघ्र भेजे साथ ही कार्यमुक्ति आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भेजे ताकि इनकी संकलित रिपोर्ट उच्च अधिकारियो को यथासमय भिजवायी जा सके । इसमे किसी भी प्रकार की कोताही नही बरते । जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेगे।

विकास अधिकारी पंचायत समिति सांचोर दिनांक 7.10.17-

कमांक/945-949 प्रतिलिपी :-

श्रीमान शासन सचिव स्कुल शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर

2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर

श्री ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति सांचोर

श्री पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी संबंधित को पालनार्थ।

आदेश पत्रावली

विकास आधकारा पंचायत समिति सांचोर

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) राजसमन्द

क्रमांक – जिशिअ/प्राशि/राजस/संस्था/ग्रापस/2017–18/347 दिनांक – 30/1/2018

प्रेषित

1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद राजसमंद (राजसमंद)

विषय :-- पंचायत सहायकों को विद्यालय के लिए कार्य मुक्त करवाने के सम्बन्ध मे।

प्रसंग : श्रीमान जिला कलक्टर के पत्रांक 16 दिनांक 16.01.2018 तथा श्रीमान के पत्रांक 7612 दिनांक 18.01.2018 की अनुपालना में।

महोदय.

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगानुसार निवेदन है कि समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक देवगढ द्वारा श्रीमान के सम्मुख इस आशय का पत्र प्रस्तुत किया गया कि "राज्य सरकार के विशा निर्देशों के अनुसार चयनित ग्राम पंचायत सहायक प्रतिदिन अपनी उपस्थिति पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगें। पंचायत सहायकों के मासिक मानदेय पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हारा मासिक उपस्थिति प्रमाणित किए जाने के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा।

रपष्ट दिशा—निर्देशों के बावजूद ग्राम पंचायत सहायक ग्राम पंचायत में ही अपनी सेवा देना बता रहे है। ग्राम सचिवों द्वारा इन्हें पीईईओ कार्यालय हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। इनकी मासिक उपस्थिति भी पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बिना प्रमाणित किए सीधे ही ग्राम सचिव द्वारा मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। ''

इस सम्बन्ध में स्पष्ट है कि श्रीमान शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के अर्द्धशासकिय पत्रांक प.15(1)प्राशि/2017 दिनांक 20 सित्त02017 के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों का निर्धारित मुख्यालय पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय है। ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य सम्पादित किया जाना है। (संलग्न अर्द्ध0शा0 पत्र) की अनुपालना में इस कार्यालय के पत्रांक जिशिअ/प्राशि/राजस/संस्था/ग्रापस/ 2017–18/ 238 दिनांक 26.10.2017 को समस्त विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम सेवक करने हेतु लिखा गया।

अतः सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में प्रेषित है। सोल्फर्नः उपरेक्तानुसार

जिला शिक्षा अधिकरी (प्राशि) एवं अध्यक्ष ग्रास पंचायत सहायक चयन समिति प्रकोष्ठ, राजसमंद

प्रतिलिपि :--

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर राजसमंद
- 2 जिला शिक्षा अधिकारी माशि राजसमंद
- 3 समस्त पीईईओ जिला राजसमंद
- 4 रक्षित पत्रावली

जिला सिक्षा अधिकारी (प्राशि) एवं अध्यक्ष ग्राम पंचायत सहायक चयन समिति प्रकोष्ठ, राजसमंद

#### 1 111 4G VoLTE 7 🗩 30%

#### 9:36 PM

# New Doc 201...

 fax no-01508-234313
 email i-d—egspsps1970@gmail.com

 कार्यालय पंचायत समिति पीलीबंगां, जिला हनुमानगढ़(राज.)

 कमांक:-पंसंपी/स्था./2018/257/
 दिनांक:- 22/6/2018

 श्रीमान मुख्यकार्यकारी अधिकारी महोदय,
 जिला परिषद हनुमानगढ

विषयः—ग्राम पंचायत सहायको को कार्यमुक्त करने के संबंध में मार्गदर्शन बावत। प्रसंगः—श्रीमान शासन उपसचिव ,स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक पं.15(1) प्राशि/2017 दिनांक 15.05.2018 व आपके कार्यालय के पत्रांक जिपह/स्था./ग्रा.पं.सहा.भ./2018/2203–2209 दिनांक 24.05.2018 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासांगिक पत्रानुसार राजकीय विद्यालयों मे ग्रीष्माकालीन अवकाश रहने के दौरान ग्राम पंचायत सहायकों को जॉब चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायत के निर्दिष्ट कार्यों में सहयोग हेतु ग्राम पंचायतों में लगाये जाने के निर्देश दिये गये थे। आदेश में वर्णितानुसार अवकाश 20.06.2018 को ग्राम पंचायत सहायकों को पुनः पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जाना है परन्तु इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ में दायर एसबी सिविल रिट संख्या 14195/2017 द्वारा दायर प्रकरण में ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय यथास्थिती ग्राम पंचायत मुख्यालय रखने बावत एडवोकेट श्री जितेन्द्र सिंह भलेरिया द्वारा विधिक नोटिस प्रस्तुत किया गया है, नोटिस की प्रति सलंग्न कर निवेदन है कि ग्राम पंचायतों को संबधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यमुक्त करने बावत मार्गदर्शन प्रदान करें।

सलंग्न:--एस.बी सिविल रिट संख्या 14195/2017 की प्रति

विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा दिनांक:--

#### कमांकः-पं.सं.पी / स्था. / 2018 / प्रतिलिपीः:--सूचनार्थ

- 1. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ,पीलीबंगा।
- 2. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी समस्त।
  - 3. सरंपच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत समस्त।

विकास अधिकारी पंचायत समिति पीलीबंगा कमांक म, 15(1)प्राणि / 2017

जयपुर, दिनांक: 2.9 MAY 2017

- 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।
- 2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-समस्त।
- उ जिल्ला ग्रिस्ता अधिवन्तरी ग्रार्स्विधकः समस्त।

# विषयः - ग्राम पंचायत सहायकों के मुख्यालय के संबंध में।

त्राच्य सरकार की आझा कमाक प. 15(1)पाशि/2017 दिनाक 28.01.2017 एवं पत्रांक प. 1(24)प्राशि/आयी / 2015 दिनांक 61.02.2017 के कम में प्रदेन पंचायत प्रारम्पिक शिक्षा आविकारी के कार्यों में सारयोग हेल लगाये गये ग्राम पंचायत राहायकों का मुख्यालय संबंधित प्रदेन पंचायत प्रारम्पिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

यह पन्दायली राज विभाग एवं शिक्ष विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोवित है।



प्रतिसिधि निभन को सुमनार्थ, पालनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही छेतु-

- निजी सचिद्र, प्रमुख सविव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- . 2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजा विमाम।
- . 3. विशिष्ट संहायक, माननीय राज्य मंत्री,विक्षा एवं पंचायती राज विभाग(संतव प्रभार)
  - 4 निजी सचित, मुख्य सचित्र।
  - 5 निजी सचिव, असिरिवल मुख्य राजिव, ग्रामीण विकास एवं प्रभायती राज विमास।
  - 8 निजी संधिय, शासन सचित, स्कूल शिक्षा दियान ।
  - 7 निजी सचिव, शासन सविव एव आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 8 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान वीकानेर।
- 9 निदेशक प्रारम्भिक सिंहा राजरणान बीकानेर।
- 10 जिला कलक्टर समस्त I
  - 11. उप मिदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त ।
  - 14 Games margine, 4 and 1983 THE
- , 13 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
- 14 पदन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्ता।
- 16 साम सेवक एवं पदेन संविव, ग्राम पंचायत, समस्त ।
- 18. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

आतः भावस्थक आम पंचायतः संहायकः भर्ती

राजस्थान सरकार कार्यालय जिला परिषद (प.रा.प्र.), हनुमानगढ (राज0) (प्यापती राज प्रतीश) ई-मेन - prinzphinhia annal com. इस्माप नीठ-61852-264898, 264899

क्रमाकः - जिपह/स्था/याप.सहा./कार्य/2018-19/4/45-5) दिलांकः - 3/7/18

विकास अधिकारी पंचायत समिति, हनुमानगढ/संगरिया/टिब्वी/ रावतसर/पीलीबंगा/नोहर/भावरा।

> विषय - ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय ग्राम पंचायत कार्यालय निर्धारित करने के संबंध में।

> प्रसंग :- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14195/2017 राजस्थान सरंपच संघ जिला शाखा, हनुगानगढ बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23.01.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पंचायतों में नियुक्त ग्राम पंचायतों सहायकों का विभागीय आदेश क्रमांक प.15 (1) प्राशि / 2017 दिनांक 29.05.2017 द्वारा मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया था।

किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 14195/2017 राजस्थान सरंपच संघ जिला शाखा, हनुमानगढ बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23.01.2018 द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय निर्धारित हेतु निर्देश प्रदान किये गये है, उक्त अन्तरिम आदेश आदिनांक तक प्रभावी है।

अतः प्रासांगिक न्यायालय निर्णय दिनांक 23.01.2018 की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त न्यायालय निर्देशों की पालना में आगामी आदेशों तक ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय निर्धारित करना सुनिश्चित करें। संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यक्रीरी अधिकारी जिला परिषद, हनुमानगढ

दिनांक :-

- श्रीमान् शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पर्चायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2. श्रीमान् निदेशक मा० / प्रा० शिक्षा राजस्थान, बीकानेर ।
- श्रीमान् जिला कलक्टर, हनुमानगढ।
- श्रीमान् शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को आपके आदेश क्रमांक प.15 (1) प्राशि / 2017 दिनांक 29.05.2017 कें क्रम में सादर प्रेषित है।
- जिला शिक्षा अधिकारी, मा0 / प्रा0शि0, हनुमानगढ को पालनार्थ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, हनुमानगढ

#### कार्यालय जिला परिषद, बीकानेर

क्रमांक-जिपबी/पंचायत/18/ 1223-34

दिनांक- २२-5-18

#### कार्यालय–आदेश

शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक पं. 15(1)प्राशि/2017/जयपुर दिनांक 15.05.2018 के अनुसार दिनांक 10.05.2018 से 19.06.2018 तक राजकीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण इस दौरान ग्राम पंचायत सहायकों से जॉब चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायत के निर्दिष्ट कार्यों में सहयोग लिया जा सकता है तथा विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश पूर्ण होते ही दिनांक 20.06.2018 को पुनः ग्राम पंचायत सहायकों को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिले में कार्यरत ग्राम पंचायत सहायक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय में आज ही अपनी उपस्थिति देंगे तथा स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) अन्तर्गत निर्मित शौचालयों के प्रतिदिन 50–50 फोटो अपलोडिंग का कार्य सम्पादित करेंगे।

ग्राम पंचायत सहायक द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत में उपस्थिति नहीं देने व लक्ष्य अनुसार फोटो अपलोडिंग नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार मानदेय में कटौति की जायेगी। उक्त आदेश एतद द्वारा तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(अज़ीत सिंह) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बीकानेर

दिनांक-

क्रमांक-

1723-34

प्रतिलिपि-

- 1. श्रीमान् जिला कलक्टर, बीकानेर को सूचनार्थ।
- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बीकानेर/कोलायत/नोखा/लूणकरनसर/ श्रीडूंगरगढ़/ खाजुवाला/पांचू को भेजकर लेख है कि ग्राम पंचायत सहायकों की सम्बन्धित ग्राम पंचायत में उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा फोटो अपलोडिंग करवाकर प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट भिजवावें।
- 4. जिला परियोजना समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), कार्यालय हाजा।

5 गाम विकास आदि अग्री, शाम फेन्नेक्र समस्त्र की पानमार्ग)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बीकानेर

#### कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

दिनॉकः 30.10

कमाकः सोधे / पंचायत / 2017 / //06

मुख्य कार्यनारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर

विषय:- ग्राम पंचायतों सहायकों के मुख्यालयों के संबंध में । प्रसंगः- श्रीमान् शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का अ०प०पत्रांक : प015(1)/प्राशि/2017 दिनॉक 20.09.2017 व इस कार्यालय का प0 सीबी/पंचायत/2017/794 दि. 02.08.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान् शासन सचिव. स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग. राज सरकार ने अपने प्रासंगिक अ०शा० पत्र द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों को उनके निर्धारित मुख्यालय पर रहकर कार्य सम्पादन करवाने के कम में अभी तक भी अनेक ग्राम पंचायतों में जम्बंधित ग्राम सेवकों द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों को पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारों े कार्यालय हेतु कार्यमुक्त नहीं किये जाने से अवगत करवाते हुए ग्राम पंचायत सहायकों 1. ा पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य सम्पादित ं ये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है । पूर्व में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त ावरथा की समीक्षा करने के निर्देश प्रदान किये गये थे ।

प्राप्त प्रासंगिक पत्र की प्रति प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त व्यवस्था की पुनः समोक्षा करते हुए ग्राम पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायतों से संबंधित पदेन पंचायत प्रारंभिक हिना अधिकारी के कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जाना सुनिष्चित करवायें तथा इस

संबंध में को गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अविलंब अवगत करवायें । सलंग्नःउपरोक्तानुसार

पंचायत शाखा कलैक्टेट, बीकानेर

दिनॉकः

कमांक सी / पंचायत / 2017 /

प्रतिलिपि : श्रीमान् शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज. सरकार जयपुर को उनके प्रासंगिक अ0शा0 पत्र दिनॉक 20.09.2017 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित 81

प्रभारी अधिकारी पंचायत शाखा कलैक्ट्रेट, बीकानेर

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर

ई मेल (राज्याधन शाखा)- desclebikaner.scnsthauan@gmail.com

फोन नं- 0151 2226567

दिनांक:-2 2· 6)·/8

ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त, जिला बीकानेर।

> विषयः— ग्राम पंचायत सहायकों के मुख्यालयों के सम्बंध में। प्रसंगः- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीकानेर का पत्रांक जिपत्री/गंवायत/2017/4506-13 दिनांक 08.11.17

जपर्युक्त विषयानुसार लेख है कि लंलगन पत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों को पदेन पंचायत प्रारन्भिक हिसा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्रान सेवकों द्वारा पंथायत सहायकों को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए कार्यमुक्त किये जाने पर सन्वंधित भीईईओ कार्यग्रहण करवाकर पोर्टल पर अपखेट करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें ताकि रिपोर्ट उच्चाधिकारीयों को प्रेमित की जा सकें। संलग्नः उपरोक्तनुसार।

> जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर दिनांक:--

क्रमांकः-जिशिअ/प्राशि/बीका/संस्थ:-1/प.स./2017-18/ प्रतिलिमी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित:-

- श्रीमान जिला फलक्टर, बीकानेर।
- श्रीमान गुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर।
- विकास अधिकारी, समस्त ब्लॉक, जिला बीजानेर।
- सगरत पीईईओ, जिला बीकानेर आदेशों की पालना सुनिष्टिचत करें।
- रक्षित पत्रायली।

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर

नरेश' पाल गंगवार, आं र एस शामन सचित्र

1.1.11



स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार, जवपुर

अ0शा0पत्रांक : प. 15(1)प्राशि / 2017 जयपुर, दिनांक: 20.5-2017

अधोइस्लाक्षरकर्ता के समसंख्यक अद्धं शासकीय पत्र दिनांक 10.07.2017 द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों को उनके निर्धारित मुख्यालय पर रहकर कार्य सम्पादन करवाने हेतु अनुरोध किया गया था। परन्तु अभी तक भी अनेक ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित ग्राम सेवकों बार याम पंचायत सहायकों को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु कायमुक्त नहीं किया गया है। चूंकि ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक रिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य सम्पादित किया जाना है।

अत मैं वाहंगा कि उका वावरथा की पुनः समीक्षा की जाकर ग्राम पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

## सानार ।

- - -

ष्ट्रिय झी अनित जी,

भवनिष्ठ

कमरा नं. 1212, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर - 302 005 ट्रग्भाष : 0141-2227389 (का.) टेलीफैक्स : 0141-2227570 इं-मेल : pseducation2013@yahoo.com

Scanned by CamScanner

श्री अनिल गुप्ता, जिला कलक्टर, बीकानेर।

22 . .

#### राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग

#### क्रमांक: प.15(1)प्राशि / 2017 /

## जयपुर, दिनांक: - 8 MAY 2018

1 आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।

- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 4. मख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

विषय :- ग्राम पंचायत सहायकों की समयावधि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम. 1996 के नियम 259 के उप नियम 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की आज्ञा दिनाक 28.01.2017 द्वारा माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किया जाकर उनके कर्त्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये। पदेन पंचायत प्रारम्भिक सिक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में दिनांक 11.04.2017 एवं 07.12.2017 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये।

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु समसंख्यक पत्र दिनांक 01.02.2017 एवं 8.02.2017 को जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार 1 वर्ष के लिए अस्थाई आधार पर ग्राम पंचायत सहायक लगाये गये है।

विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के अनुमोदन उपसंत इस विभाग के समसख्यक पत्र दिनांक 29.05.2017 को ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया।

पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिनांक 14.03.2018 को दिशा–निर्देश जारी किये गये, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत सहायक द्वारा, पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें आवंटित, कार्य किये जाना निर्धारित किया गया।

अतः उक्त के कम में ग्राम पंचायत सहायकों के कार्य संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिये जाने की शर्त पर उनकी समयावधि एक वर्ष के लिए बढाई जाती है। इस हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके अधीन लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों के कार्य के संतोषजनक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी (पूर्व पदनाम ग्राम सेवक कम पदेन सचिव) को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके आधार पर उनकी समयावधि बढाई जावेगी।

यह पंचायती राज विभाग की सहमति से जारी किया जाता है।

गविभि निम्न को अन्ननार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू-

Man and

#### राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

कमाक म, 15(1)प्राप्ति / 2017

#### जयपुर दिनांक 2 9 MAY 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–समस्त।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक- समस्त ।

विषय - ग्राम पंचायत सहायकों के मुख्यालय के संबंध में।

राज्य सरकार की आज्ञा कमाक प. 15(1)प्राशि / 2017 दिनाक 28.01.2017 एवं पत्राक प. 1(24)प्राशि / आयो / 2015 दिनांक 01.02.2017 के कम में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत संहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा।

यह पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम रतर से अनुमोदित है।


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्-

- 1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री,शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग(स्वतंत्र प्रभार)।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 10. जिला कलक्टर समस्त।
- 11. उप निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
- 12 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
- 13. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ।
- 15. , ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त।
- 18. रक्षित पत्रावली।

3

शासन उप सचिव

योजना	गांतविधि
	<ol> <li>प्रभावन समिति से प्राप्त सामारधार अंदर्ड का विसंथल करना.</li> </ol>
	a ninome and farren allows source weat
-	
भामाशाह	
	e aftern uftrarett aft egelt deme auson og urdensen at flev after aven og egenn særeter aven
	s unfiger uffant is elifan sum all glein an glaarm furen fture men
	o अन्य जनवे समयसमय पर पत्थावल तांश सीथे जाये पर
	1 स्वम्य भारत मित्राम की सफलता के लिए प्रात्माहरण सिम्सील करना
स्वत्स्त	2 रवमघटता जी महाता एक लोगा का शीमालय मिमित करने के लिए प्रेरिंग लहना
भारत	3 याम वभावत को गुले में शीध मुंबत करने के लिए मरसक द्वमांस करना 4 निर्मित शौचालय का निरीक्षण करना एवं मुगलान हेतु निर्धारित प्रथत्र वैयार करना
मिशन	5 गुरातान हेतु नियोशित प्रयत्र यसांवत समिति सं यहवाना
1.000	<ul> <li>राष्ट्रिय वसलाइन सर्व में वाणितः पात्र परिवास की सुनी तैयार करना</li> </ul>
	उ अन्य साथ समय स्तम पर प्रधायल हाता सीथे जाने पर
	ा आगेव्यक हारा माम प्रमन्न 6 दिय जाने पर नियांसित अवधि में कार्य आवटन करना एवं माम गावों जा संवारण करना
	2 जॉव कार्य रजिस्तर संधारण करना एवं अर्थतन करना
	3 कार्य आगटन के लिए मस्टरनोल आरी अध्याना एवं कार्य संसाधित पर संसटर राज की MIS पर कर्न करवाना 3 नियोपि
	अवधि में भुगलान सुनिहिन्नत करने के लिए समय पर वेजलिस्ट बनवाना , प्रेषित करना एवं पाहित मस्टरताल को सम्बद्धि
	पत्रायती में संपारण पारना
	4 लोगों को रोजमार उलका करवाने के लिए कार्य लोग्हून कनवाने के निवारित प्रमन्न तैयार करना
	5 अगतिरत समस्त कार्यों का सप्ताष्ठ में कम रो कम एक बार निरीक्षण करना
मनरेगा	6 पूर्ण कायों का MIS में धूर्ण दशांसा एवं कार्य की ID बनाकर GEO Tagging करना
4476-41	उ निष्प्रीतित उ रजिस्टरा का संघारण करना
	ह लोगो को मनरेगा निवमानुसार राजधार उलका करवाने के लिए प्रसित करना
	अ मुगतान सम्बद्ध समस्त समस्यों में आवेदकों को नाहयोग भदान करना
	10 जनयं व्यय प्रजीका का संघारण करना एव व्यय राशि भी समायाजन हतु निर्धारित प्रपन्न तैयार करना 11 जीव कार्य अद्यतन एव वेसिफकेशन करना
	11 जान काठ जायता एवं बाराजवरान करना 12 पत्ववाळा समापित पर भूगतान के लिए मस्टररील,मापपुस्तिका एवं वेजलिस्ट की प्रारंथा प्रतियां प्रकायत समिति में बह
	its accurate manual at Tanua at the start staff and the animate and hour which readed shall at all
	13 आवार, याता न, सीविंग का कार्य करना
	14 अन्य कार्य समय-समय पर पंचायत होरा सीमें जाने पर
	। आवेदन धार्म प्राप्त करना एवं कमी/ दृति के सिए आवेदक को सुवित करना
	2 आवेदन प्राप्त होने पर पीर्टल पर पंजीकरण करना एव पंजीकृत कामे को पंचायत समिति में जमा प्रार्थ्याना
ग्धानमंत्री	
आवास	3 निर्धारित लख्यों के अनुसार जिया टेगिंग करना एवं स्वीकृती जारी करवाना
योजना	4 स्वीकृत कार्यों के मस्टररांस जारी करवाना एवं कार्य का निरीक्षण करना 6 पालिक प्रगति रिपोट याम पंचायत एवं पंचायत समिति को उत्तक कंसना
and the second second	
	6 अन्य कार्य समय समय पर धंचायत द्वारा सीपे जाने पर
12 36	। पेन्हान - पम्नावाय प्रांतवृति, दुर्घटना बीमा, पालमहार राहान कार्ड, व अन्य समस्त सामाजिक सुरक्षा सम्बद्धित कोन ग्राम पचायत द्वारा सम्पादित होती है, के पात्र परिवारी के आवेदन प्राप्त करना एवं सम्बद्धित विमाग म प्रेलित जनसा
31.10.1	NA MANAL FLA AMARAN SUN REPAIRED AL ALS ALSOLD DE ONIGES NOT SECAL ÉS SIMURE SCALLE A SUBS NOME
	। भगरत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं / स्वीमी का रिकार्ड संचारण करना
	। समरत सामाधिक स्क्रीमों के अधिर/ पीपीओ आदि दिलरण करना एवं रिकार्ड संग्ररण करना
	पात्र अधित परिवारी की सुची निर्माल करना
	ागगांत्रिक रखीमां की आनकारी आम जनता को मुहैमा कराना
	। सरकार द्वारा सामाजिक स्कीमा के सम्बदमें समय समय समय पर आधालित कार्यक्रमां/अभियानी को सफल बेनाने म
	हरना
	अन्य कार्य समय-समय पर पंताप्रका द्वाल सीमें जाने पर



## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 445-450 दिनाक 12.07.18 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबीसी सिविल रिट 14195/2017 व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23.01.18 की पालना में पंचायत समिति खाजूवाला क्षेत्र में कार्यरत समस्त ग्राम पंचायत सहायक आगामी आदेश तक ग्राम पंचायत कार्यालय में कार्य करने हेतु आदेश जारी कियें गये थे। उक्त आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है। समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी ग्राम पंचायत सहायक को ग्राम पंचायत में कार्यग्रहण नहीं करवाये। यदि ग्राम पंचायत सहायक ग्राम पंचायत में कार्यरत है तो पदेन पंचायत प्राशि अधिकारी कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना सुनिष्ट्रियत करे।

विकास अधिकारी पंचायत समिति खाजूवाला दिनांक:-

क्रमांक — पंसखा/ संस्था/ 2018/

- 1. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बीकानेर
- 2 श्रीमान प्रधान पंचायत समिति खाजूवाला।
- 3. सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत संबंधित।
- जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. बीकानेंर।
- ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/पदेन पंचायत प्रा.शि.अधिकारी संबंधित को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिष्टित करें।
- संबंधित ...... पालनार्थ।
- रक्षित पत्रावली

– २२ d – विकास अधिकारी पंचायत समिति खाजूवाला

# कार्यालय जिला परिषद, उदयपुर (राज.) जिपल / विभाग / शिक्षा / 2017 / 117 दिनांक 25.7-17

100

कमाक/जिपउ/विभाग/शिक्षा/2017/113

विकास अधिकारी पंचायत समिति ..... समस्त उदयपुर।

> विषय:-ग्राम पंचायत सहायकों के मुख्यालय एवं दायित्व एवं कर्तव्य के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एंव भाषा विभाग राजस्थान सरकार,जयपुर के अ0शा0पत्रांक प 15 (1)प्राशि/2017 जयपुर दिनांक 10.7. 2017 एंव शासन उप सचिव,प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जयपुर के पंत्राक वण 15(1)प्राशि/2017 दिनांक 29.5.2017 का पंत्राक संलग्न की पालना में निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय रहेगा इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया जाता है कि शासन सचिव एवं आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर के पंत्राक एफ 4 () MTW / विधि / परावि / 2016 / 832 दिनांक 08.11.2016 के परिपन्न अनुसार ग्राम पंचायत सहायक ग्राम पंचायत से संबंधित समस्त कार्य का निष्पादन मे सहयोग करेगें।

अतः निर्देशो की पालना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

(अप्रिवल चतुर्वेदी)IAS मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर।

प्रतिलिपी:-

- शासन सचिव,स्कूल शिक्षा एंव भाषा विभाग,राजस्थान जयपुर के अ०शा०पत्रांक प. 1. 15 (1) प्राशि/2017 जयपुर दिनांक 10.7.2017 के कम में।
- जिला कलक्टर महोदय उदयपुर। 2.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर।

ನಕ್ಕಳಿತಿ

## कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौडगढ

क्रमांक / विकास / प–2(2–2)2017 / / 509 विनांक : 2.5 जुलाई, 2017 निमित :

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी. जिला परिषद्, चित्तौडगढ

विषय – ग्राम पंचायत सहायकों से कार्य सम्पादन करवाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयार्न्तगत शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का अ.शा. पत्र दिनांक 10.07.2017 की छाया प्रति इस पत्र के साथ भिजवाई जा रही है।

पत्र में वर्णितानुसार पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों को निर्धारित मुख्यालय पर रहकर कार्य सम्पादित किया जाना है।

अतः ग्राम पंचायलों सहायकों से अपेक्षित कार्य सम्पादन करवाये जाने के संबंध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Sd.

(इन्द्रजीत सिंह) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ

प्रतिलिपि – निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौडगढ

- 2. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शिक्षा / प्रा.शिक्षा), चित्तौडगढ
- 3. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियां, जिला चित्तौडगढ
- समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जिला चित्तौडगढ

संलग्न : उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर चित्तौडगढ

नरेश पाल गंगवार, आई.ए.एस. शासन सचिव



स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर

# रिष्ट्र स्री खिएलु - जरठा जी, मैं आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनाक 29.05.2017 की ओर आकर्षित करना चाहंगा, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों का मख्यालय संबंधित पटन

आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है (पत्र की प्रति संलग्न)। ग्राम पंचायत सहायक के मुख्यालय की उक्त व्यवस्था पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत की गई है।

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों हेतु निर्धारित मुख्यालय पर रहकर कार्य सम्पादित किया जाना है। अतः आपके स्तर से उक्त व्यवस्था की समीक्षा की जाकर ग्राम पंचायत सहायकों से अपेक्षित कार्य सम्पादन सुनिश्चित कराया जावे।

मैं आशा करता हूँ कि आप व्यक्तिशः ध्यान देकर उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवनिष्ठ. (नरेश पल गंगवार)

श्री विष्णु चरण मलिक, जिला कलक्टर, उदयपुर।

> कमरा नं. 1212, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर - 302 005 दूरभाष : 0141-2227389 (का.) टेलीफैक्स : 0141-2227570 ई-मेल : pseducation2013@yahoo.com

#### कार्यालय जिला परिषद (पंचायत राज प्रकोष्ठ), जालोर

विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त जिला जालोर

D'Ifg m'PA Section 2017 II File

विषयः पंचायत सहायकों के कार्य विभाजन बाबत

संदर्भः पंचायतीराज विभाग का परिपत्र क्रमांक 68 दिनाक 27.01.2017, स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर का पत्र दिनांक 1.2.2017, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का पत्र दिनांक 29.05.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 6041–44 दिनांक 4.10.2017

उपरोक्त विषय में लेख है कि उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों के कार्य विभाजन एवं मुख्यालय बाबत राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्रदत्त किये गये है । इस कम में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व के सभी आदेशों को अतिकमित करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में निम्न निर्देश जारी किये जाते है :

- 1 जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक नियोजित किये जा चुके है उनके कार्य विभाजन किये जाने है।
- 2 यह कार्य विभाजन ग्राम पंचायत सुहायकों के नियुक्ति अधिकारी यथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना है. ।

क्र.सं.	नाम् पंचायत सहायक		आवंटित कार्य
1			स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
2	A 144		्र प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
3			महात्मा गांधी नरेगा योजना
4 .	A. 8 . 1 . C.		

3 कार्य विभाजन निम्न प्रकार किया जायेगा :

स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायतों सहायको का मुख्यालय संबंधित पदेन, पंचायत प्रारभिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा।

- 4 पदेन सचिव एवं ग्राम सेवक के द्वारा जारी आदेशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित की जायेगी तथा सभी विकास अधिकारी इस आशम का प्रमाण पत्र तीन दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे कि सभी ग्राम पंचायतों में उक्त निर्देशों की पालना में कार्य विभाजन कर दिया गया है तथा सभी ग्राम पंचायत सहायकों के द्वारा कार्य प्रारम कर दिया गया है ।
- 5 जो भी ग्राम पंचायत सहायक ग्राम सेवक के द्वारा जारी आदेशो की अनुपालना नहीं करता है तो पंचायतीराज विभाग के परिपत्र क्रमांक 832 दिनांक 08.11.16 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। उसका वेतन नहीं बनाया जायेगा इस हेतु निर्देश सभी ग्राम सेवकों को जारी किये जायें।

फोन नम्बर 01426 287220 ईमेल आईडी bdo.jai.jr @gmail.com

कार्यालय पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर राज0 कमांक/पंसज/संस्था/2018-19/43/1-15 दिनांक 21-6-18

# • कार्यालय आदेश

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,जयपुर के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर लगे पंचायत संहायको को आवंटित ग्राम पंचायत पर ग्राम विकास अधिकारी के निर्देशन में कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

पंचायत समिति जमवारामगढ कमांक/पंसज/संस्था/2018–19/43/1–15 दिनांक 21–6=18 प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान मुख्य/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,जयपुर।

2. सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत समस्त।

3. नोडल प्रभारी, ग्राम पंचायत ......।

सम्बन्धित पंचायत सहायक श्री / श्रीमती ......

5. रक्षित पत्रावली।

्विकास' अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ

विकास अधिकारी

# मध्यप्रदेश के निवासी का पंचायत सहायक में चयन!

इधर, बागीदौरा तहसील के गांव पाडातमणा के एक दिव्यांग ने Education News Grand कि एक एक दिव्याग ने पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क की महार लगाई है। उत्प्रवरण जे दिए ज्ञापन में उसने बताया कि उसने ग्राम पंचायत बोडी़गामा के पीईईओ व एसडीएमसी अध्यक्ष के नाम आवेदन किया। उन्होंने दस्तावेजों का सत्यापन कर साक्षात्कार भी लिया, लेकिन बीएड और कम्प्यूटर कोार्स की योग्यता व दिव्यांग होने के बावजूद उसका चयन नहीं किया। यहां कोई विद्यार्थी मित्र भी नहीं था। इसके बावजूद कम योग्यता वाले अभ्यर्थी का चयन कर लिया गया। उसने निष्पक्ष जांच की भी मांग की। ग्राम पंचायत सैनावासा में

अपात्र के चयन का आरोप लगाते हुए विद्यार्थी मित्र ने जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थी मित्र नारायणलाल मईडा ने बताया कि विद्यार्थी मित्र के रूप में पांच वर्ष से अधिक सेवाएं देने के बावजूद चयन में व्यक्ति विशेष के दबाव में गलत का चयन किया जा रहा है। प्रभावशाली की दखल से पात्र को धक्के खाने पड रहे है। अभ्यर्थी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर पात्र का चयन कर सूची जारी करने की मांग की है।

rajasthanpatrika.com बांसवाड़ा. जिले में पंचायत सहायक की भर्ती में मनमाने ढंग से चयन के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें चयनित आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी है। इसकी पुष्टि स्वयं सरपंच ने करते हुए चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा

सरपंच ने भी किया

विरोध

दिए है। कुशलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रूपगढ के सरपंच भंवरलाल ने बताया कि रूपगढ और बस्सी पंचायत में भर्ती प्रक्रिया तो अपनाई गई, लेकिन रूपगढ में पीईईओ और एसडीएमसी सदस्यों ने योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं कर कम योग्यता वालों का चयन कर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चयनित अभ्यर्थियों में से एक भी अभ्यर्थी उसकी पंचायत का नहीं है। चयनितों में से एक अभ्यर्थी तो मध्यप्रदेश का निवासी है, जबकि रूपगढ पंचायत के अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया। उन्होंने चयन प्रक्रिया को गलत बताते हए निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

Ē

# कार्यालय जिला परिषद्, राजसमन्द

Genia - 9.10.2012

क्रमांक - जिप/राजस/ग्रापंस/मान/2017/209-212

#### कार्यालय आदेश

श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.4()MTW/विधि/परावि/2016/832 जयपुर दिनांक 08.11.2016 एवं परिपत्र क्रमांक एफ.4()MTW/विधि/परावि/2016/68 जयपुर दिनांक 27.01.2017 की अनुपालना में जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तथां विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC)/विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) द्वारा चयनित एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी जिला परिषद से प्राप्त अनुमोदना के आधार पर पूर्णतया अस्थाई रूप से सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को नियोजित किया गया है।

ग्राम पंचायत सहायक को मासिक मानदेय 6000/- (अक्षरे छह हजार रुपए) राशि का भुगतान ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा औपचारिक रूप से जारी किए पत्र के बाद सम्बन्धित ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सहायक द्वारा कार्यमार ग्रहण किए जाने की तिथि से भुगतान करने की एतदद्वारा खीकृति -प्रदान की जाती है।

ग्राम पंचायत सहायक की मासिक उपस्थिति पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिमाह प्रमाणित करने पर ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा मानदेय का भुगतान किया जाएगा। मानदेय राशि का भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाले राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद में से किया जायेगा।



क्रमांक - जिप/राजस/ग्रापंस/2017/209-212 प्रतिलिपि --

- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द 1.
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आमेट/भीम/देवगढ/खमनोर/कुम्भलगढ/रेलमगरा / 2 राजसमन्द
- ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी. पंचायत समिति, आमेट/भीम/देवगढ/खमनोर/कुम्भलगढ/ 3. रेलमगरा / राजसमन्द
- संबंधित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ग्राम पंचायत...... जिला राजसमन्द 4.
- कार्यालय प्रति । 5.

PIEN

- 11 04

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, राजसमन्द

14-110-2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, राजसमन्द

# कार्यालय पंचायत समिति,रानी स्टेशन 12-11007 5/2018

कमांक/पसरा/ संस्था/ 2018/ 444

## कार्यालय आदेश

समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी(पंचायत समिति रानी) को निर्देशित किया जाता है कि ग्रीष्म अवकाश होने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत सहायकों को तुरन्त प्रभाव से सम्बंधित ग्राम पंचायत हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराये।

> विकास अधिकारी द्र-पंचायत समिति, रानी स्टेशन दिनाक 07/S/2018

कमांक/पसरा/संस्था/2018/ ५५८- ५७७७ प्रतिलिपि

- श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय,ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर।
- श्रीमान शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर।
- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,पाली।
- श्रीमान मुख्य/अति.मुख्यकार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद,पाली।
- 5.श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक शिक्षा)पाली।
- श्रीमान प्रधान महोदया, पं.स रानी।
- 7. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,पंस रानी को भेजकर लेख है कि पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को ग्राम पंचायत सहायकों को आज ही ग्राम पंचायत के लिए कार्यमुक्त करने हेतु पाबंद करे।
- 8.सरपंच ग्राम पंचायत...... ।
- 9. पदेन पंचायत प्रारभ्भिक शिक्षा अधिकारी,(संस्थाप्रधान) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायत.....को पालनार्थ।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से आज ही व्यक्तिगत सम्पर्क कर ग्राम पंचायत सहायकों को कार्यमुक्त करवाकर ग्राम पंचायत में कार्यग्रहण की सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
- 11.ग्राम पंचायत सहायक श्री...... को पालनार्थ।

12.रक्षित पत्रावली।

विकास अधिकारी 🖉 🗕 पंचायत समिति,रानी स्टेशन

# कार्यालय जिला परिषद बीकानेर

क्रमांक : जिपबी/पंचायत/2017/ 4506-13

दिनांक : 8-11-17

विकास अधिकारी पंचायत समिति बीकानेर/खाजूवाला/कोलायत/लूणकरनसर/नोखा/पांचू/श्रीडूंगरप्रद

विषय :- ग्राम पंचायत सहायकों के मुख्यालयों के सम्बन्ध में।

प्रसंग :-- श्रीमान जिला कलक्टर बीकानेर के पत्रांक सीबी / पंचायत / 2017 / 1106 दिनांक 30 / 10 / 2017 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि श्रीमान शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर ने संलग्न अर्द्ध–शासकीय पत्र द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों को उनके निर्धारित मुख्यालय पर रहकर कार्य सम्पादन करवाने के क्रम में अभी तक भी अनेक ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित ग्रामसेवकों द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु कार्यमुक्त नहीं किये जाने से अवगत करवाते हुए ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें, ताकि रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जानी सम्भव हो सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर

दिनांक :

क्रमांकः जिपबी/पंचायत/2017/ प्रतिलिपिः—

1 श्रीमान जिला कलक्टर बीकानेर को उनके पत्रांक सीबी / पंचायत / 2017 / 1106 दिनांक 30 / 10 / 2017 के क्रम में सूचनार्थ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर

Scanned by CamScanner

# पंचायत सहायकों से ले रहे शिक्षक का काम, प्रधान ने कहा-पंचीयत में करी कीम तभी मिलेगा वेतन

शौचालयों के निर्माण सहित ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं के संचालन में सहयोग करना है। विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद शर्मा ने कहा कि पंचायत आपको वेतन देगी तो फिर विद्यालयों में काम किसलिए।

बैठक में सामने आई। इस पर प्रधान ने कहा, सभी पंचायत सहायक स्कूलों में नहीं जाकर पंचायतों में बैठ कर कार्य करें। स्कूलों में जाने पर उन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। प्रधान ने कहा कि पंचायत सहायकों को पंचायतों में पीएम आवास

कोटडी. क्षेत्र में पंचायत सहायकों से स्कूलों में शिक्षण कार्य करा रहे हैं। लिहाजा वे पंचायतों के काम नहीं कर पा रहे। ये बात मंगलवार को प्रधान सुमन गुर्जर एवं विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद शर्मा की ओर से ली पंचायत सहायकों की

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ,श्रीगंगानगर

क्रमांक जिशिअ/भाष्य/गंगा/सामान्य/2018/

दिनांक:

समस्त पीठई०ई०ओ एवं प्रधानाचार्य जिला–श्रीगंगानगर ।

> विषय:- पंचायत सहायको को ग्राम पंचायतो में कार्य करने के संबद्ध में । प्रसंग:- मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिला परिषद,श्रीगंगानगर का पत्रांक: जिपग/स्था/4832, दिनांक: 29.06.18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,श्रीमंगानगर के प्रांसगिक पत्र के क्रम में लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ,जोधपुर द्वारा एसबीसी 14195/2017 राजस्थान सरपंच एसोसिऐशन, ब्रांच-हनुमानगढ बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक: 23.01.2018 के अनुसार पंचायत क्षेत्र में कार्यरत समस्त पंचायत सहायक आगामी आदेश तक ग्राम पंचायत में कार्य करेंगे 1

अतः इस कार्यालय के क्षेत्राधीन जिले के समस्त पीठईठईठओठ को निर्देशित किया जाता कि उक्त आदेश की पालना में उनके यहा कार्यस्त पंचायत सहायकों को संबधित ग्राम पंचायत के लिए तत्काल कार्यमुक्त कर सूचना से इस कार्यालय को अवगत करवायें 1

> जिला शिक्षा अधिकारी माव्यमिक,श्रीमंगालगर

दिनांक : 5.7.18

जिलो शिक्षा अधिकारी माध्यमिक,श्रीर्गगानगर

क्रमांकः जिशिअ/माध्य/जंगा/संख्या-1/2018/ २०५५ प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,बीगंगानगर ।

2. जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारत्भिक शिक्षा,श्रीजंजानगर ।

रागरत काॉक प्रारम्भिक शिका अधिकारी,प्रारम्भिक शिका, भिदना-भीग्रंगहरूप्र



कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर कर्माक-शिविरा/प्रारं/शिक्षक संरथापन/एफ.2/ग्रा.प.स./2018 दिगांक- 09.03.18

समस्त जिला कलक्टर समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा / माध्यभिक शिक्षा

> विषय—डी.बी. स्पेशल अपील याचिका सं. 30 / 18 अनिता बिरनोई एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दि.23.02.18 के कम मे। प्रसंग—दिशिष्ट शासन सचिव,प्राशि(विधि—प्रकोष्ठ) विभाग के पत्तांक— प.18(42)प्राशि/बि.प्र. / 18 दिनांक 07.03.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र से शासन द्वारा ग्राम पंचायत सहायक भर्ती से संबंधित, उन याधिगण जिनके संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, को छोड़कर अन्य शेष सभी के संबंध में ग्राम पंचायत सहायक चयन की प्रक्रिया को पूर्ण किए जाने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। अतः तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही करावें।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवस्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--</u> 1. विशिष्ट शासन सचिव,प्राशि(विधि-प्रकोष्ठ) विमाग के पन्नांक-प.18(42)प्राशि/वि.प्र. /18 दिनांक 07.03.18 के संबंध में। 2. समस्य स्वपनिवेशक प्रायणिक जिल्हा के

2. समस्त उपनिदेशक, प्रारभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा

निदेशक. प्रारंभिक शिला राजस्थान. वीकानेर

राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प=१५(१)प्राशि / २०१७ /

जयपुर, दिनांकः

.1 5 MAY 2018

1 आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

मख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

विषय :-- ग्राम पंचायत सहायकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के अनुमोदन उपरांत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.05.2017 को ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया।

पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिनांक 14.03.2018 को दिशा–निर्देश जारी किये गये, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत सहायक द्वारा, पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें आवंटित, कार्य किये जाना निर्धारित किया गया।

दिनांक 10.05.2018 से 19.06.2018 तक राजकीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अतः इस दौरान ग्राम पंचायत सहायकों का जॉब चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायत के निर्दिष्ट कार्यों में सहयोग लिया जा सकता है तथा विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश पूर्ण होते ही दिनांक 20.6.18 को पुनः ग्राम पंचायत सहायकों को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

(संजय कुमार) शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

- 2. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ।
- 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- आयक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- 5. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- उप निदेशक प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।

7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।

- विकास अधिकारी समस्त।
- ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी समस्त।
- 10. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी-समरत।
- 11. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण जाट) अनुमागाधिकारी



#### राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक: प. १५(१)प्राप्ति/ २०१७

जयपुर, दिनांकः 14 MAR 2018

- 1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग
- 2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
- 5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
- 7. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा , समस्त।
- जिला शिक्षा अधिकारी, माघ्यमिक शिक्षा, समस्त।

## विषय:- ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा परिपत्र एफ 4() MTW/विधि/पंरावि/2016/68 दिनाक 27.01.2017 जारी किया गया, जिसके अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पृथक से आज्ञा जारी कर ग्राम पंचायत के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किये जाने एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सौंपे गये विभिन्न दायित्वों का निवर्हन करने के लिए सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में सहयोग का कार्य ग्राम पंचायत सहायक द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त परिपत्र में ग्राम पंचायत सहायक के चयन, कर्त्तव्य एवं दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है।

तदनुसार स्कूल शिक्षा विभाग की आज्ञा दिनाक 28.01.2017 द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी एक राजमावि/रामावि के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में अवस्थित राजप्रावि/प्रावि के लिए पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किया जाकर कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग परिपत्र एफ 4() MTW/विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.2017 के परिप्रेक्ष्य में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु ग्राम पंचायत सहायक लगाये जाने बावत् दिशा–निर्देश दिनांक 01.02.2017 एवं 08.02.2017 को जारी किये गये है।

रकूल शिक्षा विभाग द्वारा पर्वन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कर्त्ताव्य एवं दायित्यों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश दिनांक 11.04.02017 को जारी किये गये है। विभाग द्वारा पंचायती राज

2.60

विभाग के अनुमोदन उपरांत दिनांक 29.05.2017 द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है (परिशिष्ठ–1)। ग्राम पंचायत सहायकों के दायत्वि एवं कार्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाते है :--

- ग्राम पर्चायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन बाबत् सौंपे गये विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के मासिक निरीक्षण से सम्बन्धित आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 3 ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु आयोजित की जाने वाली समस्त बैठकों के आयोजन एवं प्रबंधन से सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 4. ग्राम पंचायत में 6 सें 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा से जोडने के लिए उक्त आयु वर्ग के बच्चों के चिन्हीकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 5 ग्राम पंचायत में अनामाकित/ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हीकरण करते हुए पंचायत की बैठकों/विद्यालय की विकास समिति/प्रबंधन समिति की बैठकों में पंचायत के नागरिकों/अभिभावकों को बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करवाने के संबंध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 6. ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, नामांकन वृद्धि, आधारमूत संरचना विकास आदि के लिए प्रस्ताव तैयार करवाने एवं विद्यालयवार कार्य योजना निर्माण व कियान्वयन के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंदित समस्त कार्य।
- 7. ग्राम पंचायत में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के विकास एवं निर्माण में भामाशाहों/दानदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क एवं सहयोग प्राप्त करने हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य संपादन के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य।
- राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 10. प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर के विद्यालयों की समस्त प्रकार की सूचनाओं के शाला दर्शन/शाला दर्पण/अन्य पोर्टल पर आदान-प्रदान/अपडेशन/प्रविष्ठि के संबंध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 11. ग्राम पंचायत में स्थित सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावक-अध्यापक परिषद की बैठकों में ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं के बारे में अवगत/जानकारी कराये जाने के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 12. ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में प्रारम्भिक शिक्षा की शिक्षण व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों की प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान किये जाने हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।



13. ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी) से सम्बन्धित कार्य करेंगे।

- 14. पंचायत सहायक ग्रामीण जन को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे।
- 15. रवच्छ भारत अभियान में सकिय योगदान कर पंचायत के नागरिकों को प्रेरित करेंगे।
- 16 ग्राम प्रचायत के राजकीय कार्यों में ग्राम पंचायत सहायकों का सहयोग लिया जा सकता

書1

उपरोक्तानुसार पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण से सम्बन्धित कार्यों में यदि में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता, अनुशासनहीनता की जाती हैं तो पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर पंचायती राज विभाग के आदेश कमांक एफ 40 MTW/विधि/पंसवि/2016/832 दिनांक 8.11.2016 के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत सहायक के पृथक्करण की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह किसी भी प्रकार के न्यायिक वाद/अनुतोष के अधिकारी नहीं होंगे।

ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें आवंटित कार्य संतोषप्रद पूर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण संबंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को प्रतिमाह 05 तारीख तक **परिशिष्ठ–2** पर उपलब्ध प्रारूप में प्रेपित किया जायेगा। तद्नुसार ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को मानदेय भुगतान किया जायेगा।

यह पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु--

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रमार)।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
- जिला कलक्टर समस्त।
- उप निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त ।
- 10. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
- 12. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त।
- 13. रक्षित पत्रावली।



UIDIDICE -T

राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

जयपुर, दिनांकः 29 MAY 2017

कमांक प. 15(1)प्राणि/2017

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।

2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-समस्त।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक– समस्त।

विषय:- ग्राम पंचायत सहायकों के मुख्यालय के संबंध में।

राज्य सरकार की आज्ञा कमांक प. 15(1)प्राशि/2017 दिनाक 28.01.2017 एवं पत्रोंक प. 1(24)प्राशि/आयो/2015 दिनांक 01.02.2017 के कम में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा।

यह पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा पिभाग के राक्षम स्तर से अनुमोवित्त है।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु -

निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननाथ मुख्यनंत्रा महायत्राने 2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- विशिष्ट सहायक, माननाय मंत्री, ग्रामाण पिकास ९५ पंचायती 3 विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग(स्वतंत्र प्रभार)।
- 3 विद्यिष्ठ सहायक, माननाय ५ 4 निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- मिली सचिव, अलिस्कित मुख्य सविव, यामीण विकास एव पंचायती राज विभाग।
- 5 मिली सचिव, शासन सचिव, स्कृल शिक्षा विभाग ।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव एव आयुक्त, पंचायती राज विमाग।
- 8 निवेशक, मध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 10. जिला कलक्टर समस्त |
- 11 उप निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त ।
- 12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
- 13 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त ।
- 14. पदेन यंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ।
- 15. ग्राम सेवक एवं पर्वेन सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त।
- 16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

2951) शासन/उप सचिव कार्यालय पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत, ....... पं.स. ...... जिला..... कमांक :

ग्राम सेवक एवं घदेन सचिव,

ग्राम पंचायत

पंचायत समिति .....

विषय :- ग्राम पंचायत सहायकों के माह ..... के मानदेय भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाणीकरण।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमाणित किया जाता है कि माह ...... में निम्नांकित ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा उनको आवंटित कार्य का संतोषप्रद तरीके से निष्पादन किया गया है।

अतः इन्हें माह ..... के मानदेय का भुगतान किया जावे।



पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी



# कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्मांक शिविश/प्रारं/शिवक संस्थापन/एफ2/ग्रा.प.स./१७

समस्त उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा

अति-आवस्यक

Parito- 22/08/18

समस्त जिला शिका अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा/माज्यमिक शिक्षा

> विषय-ग्राप पंचायत सहायकों के चयम से शेष रही ग्राम पंचायतों में चयन हेतु तिथि निर्धारण कर चयन प्रकिया पूर्ण करने बाबत। प्रसंग- उपशासनसविव,प्राशि,जयपुर के पत्रांकः प.15(1)प्राशि/2017दिनांकः 16.03.18 एवं 24.12.17 एवं इस कार्यालय का समझंख्यक पत्र दिनांक 21.03.18

छपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों के चयन से रोष रही ग्राम पंचायतों में चयन हेतु दिनांक 24.12.17 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिसके संबंध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र विमांक 24.12.17 एवं 28.12.17 के माघ्यम से आपको निर्देशित किया जा मुका है। राज्य सरकार द्वारा दि. 18.03.18 को जारी पत्र के बिन्दु सं. 01 के अनुसार ऐसी ग्राम पंचायते जिनमें कतिपय याचिगणों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में याचिकाएँ दायर की हुई हो तथा स्थागन का आदेश जारी किया हुआ हो, जन मामलों को छोड़कर होब ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक की घयन प्रक्रिया पूर्ण का जाने हेतु प्रारंभिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग के पत्रांक-प.18(42) प्राशि/विग्र/18 दिनांक 7.3.18 द्वारा लिखा जा चुका है, उक्त प्रकिया दिनांक 23.3.18 सक पूर्ण की जावें।

निर्देशित किया जाता है कि अपूर्ण रही ग्राम पंचायत सहायक के चयन की प्रक्रिया को 04.04.18 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावे ।

पत्र के बिन्दु संख्या 02 की कार्यवाही हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.03.18 में अंकित कैलेण्डर में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

क.सं	संपादित की जाने वाली कार्यवाही	कार्य संपादन का दिनांक
1.	चयन से रोष रही ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक के चयन हेतु जिला स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन कर संबंधित विद्यालय तथा ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।	28.03.18
2	आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र मय स्वप्रमाणित दस्तावेज संबंधित SDMC की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष (पदेन पंचायत प्रारंभिक रिक्षा अधिकारी एव संस्था प्रधान) अधवा उसके द्वारा नामित SDMC के सदस्य सचिव को प्रस्तुत करना।	03.04.18
3.	ग्राम पंचायत सहायक के चयन हेतु SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर आवेदकों के साक्षात्कार एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर चयन की प्रक्रिया जसी दिन पूर्ण किया जाना एवं चयनित आवेदकों की सूची समस्त दस्तावेजात जसी दिन शील्ख लिफाफों में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को सुपुर्द करना।	03.04.18
1.	पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त चयनित आवेवकों के प्रस्ताव एवं समस्त दस्तावेज, आवेदन आदि को ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से अनुमोदित करवायी जाने की अनुरांषा हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना ।	04.04.18

6.	ब्लोंक प्रारंभिक रिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों की अनुरांषा हेतु जिला स्तरीय कभेटी की बैठक आयोजित कर उसी बिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को प्रस्तुत करना ।	04.04.18
8.	जिला स्तरीय सभिति से प्राप्त अनुशोधत सूची का अनुमोवन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया जाकर अनुमोदित सूची को जिला शिक्षा अधिकारी/पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को आदेश जारी करने हेतु उपलब्ध कराना।	04.04.18
7.	ग्राम सेवक एवं पंदेन सचिव द्वारा पंचायतीराज विमाग के परिपत्र क्रमीक- एफ.4()एमटीडब्स्यू/विधि/पंशवि/2018/68 विनांक 27.01.17 के अनुसार औपचारिक आवेश जाश करना।	04.04.18

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रवान करें।

निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान. बीकानेर।

#### प्रतिनिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवस्यक कार्यवाठी हेतु प्रेषित है-

1. उप शासन सचिव, प्राएंभिक शिक्षा विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर को प्रासांगिक पत्रों केसंबंध में।

2. निदेशक, मान्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर।

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।

22.03.10

निदेशक, प्रारंभिक शिला,राजस्थान,

भीक रही भगगत " Peco बागत, रीनी, में त्रानसार मागत ग्रिय प्रायत संस्थायत्र गिर्धाय 3130 d Fay Nn

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चित्तौडगढ

क्रमांक :- जिशिअचि-माध्य/संस्था-1/पंचायत सहायक/2017/259 दिनांक:- 03.08.2017

समस्त संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि जिला चितौडगढ दारा- नोडल संस्थाप्रधान

> विषय:- ग्राम पंचायत सहायको से कार्य संपादन के संदर्भ में । प्रसंगः- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ का पत्रांकः विकास/प-2(2-2)2017 / 1509 दिनांक 25.07.2017 ।

विषयान्तीगत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि संलंग्न पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों से कार्य संपादन हेतु शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राज0सरकार जयपुर का अ0शा0पत्र दिनांक 10.07.2017 की प्रति पत्र के साथ संलंग्न कर प्रेषित की जा रही है।

पत्र में वर्णितानुसार पंचायती राज0विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यो में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों को निर्धारित मुख्यालय पर रह कर कार्य संपादित किया जाना है।

कृपया संलंग्न पत्र में वर्णित निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सहायको से अपेक्षित कार्य संपादन कराना सुनिष्चित करें । संलंग्नः पत्र 03

मार द्विवेदी)

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चित्तौडगढ

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--1-श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ । 2-श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चितौडगढ । 3-जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चिलौडगढ । 4-विकास अधिकारी समस्त पंचायत समितियां जिला चित्तौडगढ । 5-समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिला चितौडगढ ।

(हमन्त क

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यसिक चित्तौडगढ

### कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौडगढ

क्रमांक / विकास / प–2(2–2)2017 / / ५०१ दिनांक : 2.5 जुलाई, 2017 निमित :

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, चित्तौडगढ

विषय – ग्राम पंचायत सहायकों से कार्य सम्पादन करवाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयार्न्तगत शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का अ.शा. पत्र दिनांक 10.07.2017 की छाया प्रति इस पत्र के साथ भिजवाई जा रही है।

पत्र में वर्णितानुसार पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों को निर्धारित मुख्यालय पर रहकर कार्य सम्पादित किया जाना है।

अतः ग्राम पंचायतों सहायकों से अपेक्षित कार्य सम्पादन करवाये जाने के संबंध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Est. I Dest. I 25/20 25/21/2 25/21/2 6/16/05/01/2

Sd

(इन्द्रजीत सिंह) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि - निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौडगढ

- 2. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शिक्षा / प्रा.शिक्षा), चित्तौडगढ
- 3. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियां, जिला चित्तौडगढ
- समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जिला चित्तौडगढ

संलग्न : उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर चित्तौडगढ

Email Id - oscolcor@gmail.com, devcolcor@gmail.com C:pd/001 DEVELOPMENT SECTION 5-1-2010/EDUCATION/f-2(2-2)2007.doc Phone No. 01472-247997

नरेश साल गंगवार, आई. ई.एस. शासन सचिव

स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर

अ०शा0पत्रांक : प. 15(1)प्राशि/2017 जयपुर, दिनांक: 1.0 JUL 2017

)ev

14.7.17

रिष्य झी इन्द्रजीत,

मैं आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनाक 29.05.2017 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है (पत्र की प्रति संलग्न)। ग्राम पंचायत सहायक के मुख्यालय की उक्त व्यवस्था पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत की गई है।

But up on file

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत राहायकों हेतु निर्धासित मुख्यालय पर रहकर कार्य सम्पादित किया जाना है। अतः आपके स्तर से उक्त व्यवस्था की समीक्षा की जाकर ग्राम पंचायत सहायकों से अपेक्षित कार्य सम्पादन सुनिश्चित कराया जावे।

मैं आशा करता हूँ कि आप व्यक्तिशः ध्यान देकर उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवनिष्ठ. (नरेश पल गंगवार)

श्री इन्द्रजीत सिंह, जिला कलक्टर, चित्तौडगढ।

#### राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

#### क्रमाक प. 15(1)प्राशि / 2017

### जयपुर, दिनांक: 2 9 MAY 2017

- 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।
- 2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–समस्त।
- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक– समस्त।

#### विषय – ग्राम पंचायत सहायकों के मुख्यालय के संबंध में।

राज्य सरकार की आज्ञा कमांक प. 15(1)प्राशि/2017 दिनांक 28.01.2017 एवं पत्रांक प. 1(24)प्राशि/आयो./2015 दिनांक 01.02.2017 के कम में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा।

यह पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

प सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू-

- 1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- 2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री,शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग(स्वतंत्र प्रभार)।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

10. जिला कलक्टर - समस्त।

- 11. उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
- 12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
- 13. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
- 14. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
- 15. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त।
- 18. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प. १५(१)प्राशि / २०१७ /

जयपुर, दिनांकः

.1 5 MAY 2018

1 आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।

2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

मख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

विषय :- ग्राम पंचायत सहायकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के अनुमोदन उपरांत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.05.2017 को ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया।

पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिनांक 14.03.2018 को दिशा–निर्देश जारी किये गये, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत सहायक द्वारा, पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें आवंटित, कार्य किये जाना निर्धारित किया गया।

दिनांक 10.05.2018 से 19.06.2018 तक राजकीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अतः इस दौरान ग्राम पंचायत सहायकों का जॉब चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायत के निर्दिष्ट कार्यों में सहयोग लिया जा सकता है तथा विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश पूर्ण होते ही दिनांक 20.6.18 को पुनः ग्राम पंचायत सहायकों को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

भवदीय Sel

(सजय कुमार) शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायली राज विभाग।
- विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ।
- 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- उप निदेशक प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।
- 7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।
- बिकास अधिकारी समस्त।
- ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी समस्त।
- 10. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी–समस्त।
- 11. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण जाट) अनुभागाधिकारी

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांक-शिविरा/प्रारं/शिक्षक संस्थापन/एफ.2/ग्रा.प.स./17 दिनांक- 28.12.17

समस्त उपनिदेशक. प्रारंभिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा

•

1

अति–आवश्यक

 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा

> विषय-ग्राप पंचायत सहायकों के चयन से शेष रही ग्राम पंचायतों में चयन हेतु तिथि निर्धारण कर चयन प्रकिया पूर्ण करने बाबत। प्रसंग—उपशासन सचिव,प्राशि,जयपुर के पत्रांकः प.15(1)प्राशि / 2017 दिनांकः 24.12.17 (दो पत्र)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों के चयन से शेष रही ग्राम पंचायतों में चयन हेतु दिनांक 24.12.17 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिसे इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.17 के माध्यम से आपको भिजवाये जा चुके है व उक्त दिशा निर्देश विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। जिन ग्राम पंचायतों में चयन संबंधी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तत्काल नियुक्ति संबंधी कार्यवाही पूर्ण करें तथा जिन ग्राम पंचायत में चयन संबंधी कार्यवाही शुरू ही नहीं की गई है अथवा पूर्ण नहीं की है वे राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सहायकों के चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.9.17 को जारी कैलेण्डर अनुसार निम्नांनुसार तिथियां निर्धारित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दि. 24.12.17 को जारी दिशा निर्देशानुसार अपूर्ण रही ग्राम पंचायत सहायक के चयन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना सनिश्चित करावें।

क.सं.	संपादित की जाने वाली कार्यवाही	कार्य संपादन
		का दिनांक
1.	चयन से शेष रही ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक के चयन हेतु	30.12.2017
	जिला स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन कर संबंधित विद्यालय	
;	तथा ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना।	-
2.	आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र मय स्वप्रमाणित दस्तावेज संबंधित	01.01.2018
	SDMCकी कार्यवाही समिति के अध्यक्ष (पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा	
	अधिकारी एवं संस्था प्रधान) अथवा उसके द्वारा नामित SDMC के सदस्य	
	सचिव को प्रस्तुत करना।	
3.	ग्राम पंचायत सहायक के चयन हेतु SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक	02.01.2018
	आयोजित कर आवेदकों के साक्षात्कार एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर चयन	
	की प्रक्रिया उसी दिन पूर्ण किया जाना एवं चयनित आवेदकों की सूची	
	समस्त दस्तावेजात उसी दिन शील्ड लिफाफों में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा	
	अधिकारी को सुपूर्व करना।	
_		
$\neg \uparrow$		l

4.	पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त चयनित आवेदकों के प्रस्ताव एवं समस्त दस्तावेज, आवेदन आदि को ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा	02.01.2018
	न मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से अनुमोदित करवायी जाने की	
	अनुशंषा हेतु गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना ।	
5.	ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों की अनुशंषा हेतु	02.01.2018
	जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित कर उसी दिन मुख्य कार्यकारी	
	अधिकारी, जिला परिषद को प्रस्तुत करना ।	
6.	जिला स्तरीय समिति से प्राप्त अनुशंषित सूची का अनुमोदन मुख्य कार्यकारी	03.01.2018
	अधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया जाकर अनुमोदित सूची को जिला	
	शिक्षा अधिकारी/पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ग्राम	
	सेवक एवं पदेन सचिव को आदेश जारी करने हेतु उपलब्ध कराना।	
7.	ग्राम सेवक एवं पंदेन सचिव द्वारा पंचायतीराज विभाग के परिपत्र क्रमांक-	04.01.2018
	एफ.4()एमटीडब्ल्यू/विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.17 के अनुसार	
	औपचारिक आदेश जारी करना।	

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

ź

ţ

\$

4

4

4

4

ł

1

•

प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर ।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. उप शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रासांगिक पत्रों के संबंध में।
  - 2. निजी सचिव,निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

ाक

प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर।

### कार्यालय जिला परिषद (पंचायत राज प्रकोष्ठ), जालोर

विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त जिला जालोर

> विषयः पंचायत सहायकों के कार्य विभाजन बाबत संदर्भः पंचायतीराज विभाग का परिपत्र क्रमांक 68 दिनांक 27.01.2017, स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर का पत्र दिनांक 1.2.2017, प्रारभिक शिक्षा विभाग का पत्र दिनांक 29.05.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 6041–44 दिनांक 4.10.2017

ma 8 - 18

उपरोक्त विषय में लेख है कि उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों के कार्य विभाजन एवं मुख्यालय बाबत राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्रदत्त, किये गये है । इस कम में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व के सभी आदेशों को अतिकमित करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में निम्न निर्देश जारी किये जाते है :

- 1 जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक नियोजित किये जा चुके है उनके कार्य विभाजन किये जाने है।
- 2 यह कार्य विभाजन ग्राम पंचायत सुहायकों के नियुक्ति अधिकारी यथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना है. ।

क्र.सं.	नाम पंचायत सहायक	आवंटित कार्य
1	2	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
2	2018 0 RC (#4) (0)	📕 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
3		महात्मा गांधी नरेगा योजना
4 .		, , शिक्षा कार्य

3 कार्य विभाजन निम्न प्रकार किया जायेगा :

स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायतों सहायको का मुख्यालय संबंधित पदेन, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा।

- 4 पदेन सचिव एवं ग्राम सेवक के द्वारा जारी आदेशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित की जायेगी तथा सभी विकास अधिकारी इस आशम का प्रमाण पत्र तीन दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे कि सभी ग्राम पंचायतों में उक्त निर्देशों की पालना में कार्य विभाजन कर दिया गया है तथा सभी ग्राम पंचायत सहायकों के द्वारा कार्य प्रारभ कर दिया गया है ।
- 5 जो भी ग्राम पंचायत सहायक ग्राम सेवक के द्वारा जारी आदेशो की अनुपालना नहीं करता है तो पंचायतीराज विभाग के परिपत्र क्रमांक 832 दिनांक 08.11.16 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। उसका वेतन नहीं बनाया जायेगा इस हेतु निर्देश सभी ग्राम सेवकों को जारी किये जावें।

6 उक्त आदेशों को तुरन्त प्रभाव से सभी ग्राम सेवकों एवं पीईईओ संबंधित को अनुपालना हेतु प्रेषित करने का सुनिश्चितता विकास अधिकारी करेंगे ।

इस पत्र की अनुपालना में विकास अधिकारी यथाशीघ्र संबंधित से भुगतान आदेश जारी करवाना सुनिश्चत करेगें

( हरि राम मीना)
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 जिला परिषद जालोर

कमांकःसमसंख्यक/2017/8291--830'2. प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ -

दिनांक: 15/12/17

- 1 श्रीमान प्रमुख, जिला परिषद, जालोर
- 2 श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर
- 3 प्रधान पंचायत समिति समस्त
- 4 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) जालोर को प्रेषित कर लेख है कि निर्देशों की प्रति सभी पीईईओ को भेजकर पालना सुनिश्चित करावें।

438

- 5 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारभिक शिक्षा) जालोर
- 6 कार्यालय प्रति

( हरि राम मीचा-) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर

D'f.g.m'PA Section 2017 II File

#### अत्यावश्यक

दिनांक: 20/09/2017

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/एफ-१ए/ग्राम पंचायत सहायक/2017/

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (प्रथम,द्वितीय)/ प्रारम्भिक शिक्षा (प्रथम,द्वितीय)

- विषयः— ग्राम पंचायत सहायकों के चयन से शेष रही ग्राम पंचायतों में चयन के सम्बन्ध में।
- प्रसंग :- शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक प.15(01) प्राशि / 2017 जयपुर, दिनांक 15.09.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पन्न के सन्दर्भ में लेख है पंचायती राज विभाग के परिपन्न प.4()एमटीडब्ल्यू/विधि/परायि/2016/832 दिनांक 08.11.2016 द्वारा ग्राम पंचायत सहायक लगाये जाने हेतु जिलेवार संख्या का निर्धारण किया गया था। तब्मश्यात पंचायती राज विभाग के परिपन्न दिनांक 27.01.2017 तथा शिक्षा विभाग के पन्न दिनांक 61.02.2017 एवं 08.02.2017 के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने बाबत् विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि पंचायती राज विभाग द्वारा संशोधित की गई ग्रान पंचायत सहायकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 01.02.2017 एवं 08.02.2017 (छाया प्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायत सहायक लगाये जाने बाबत् प्रासंगिक पन्न द्वारा जारी कलेण्डर अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिष्टियत करावे।

सलंग्नक- इपिरोक्तानुसार

de

आई.ए.एस् निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, -बीकानेर

(नंधमल डिडेल) आई.ए.एस. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
- विशिष्ठ सहायक राज्यमंत्री (रयतन्त्र प्रभार) प्राथभिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर को सूचनार्थ ।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
- 5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।

- निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
- नजी सचिव / स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 10. उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समरत को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र में वर्णित कलेण्डर की पालना जिला शिक्षा अधिकारी से करवाई जाकर कार्य की सम्पूर्ण मोनेटरिंग एवं प्रबोधन किया जावें।
- 11. कम्प्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को देकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- 12. रक्षित पत्रावली ।

-85

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)

संयुवता निवराक(प्राराधान) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

#### राजस्थान सरकार संकूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प. १ (२४)प्राशि / आयो. / २०१५ /

#### जयपुर दिनाकः 01 जरवरी 2017

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषय :-- ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने के लिये चयन हेतु दिशा निर्देश ।

राजस्थान पंथायती राज नियम, 1996 के नियम 259 के उप-नियम 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की आज्ञा क्रमांकः प. 15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 28.01.2017 के द्वारा माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किया जाकर उनके कर्त्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं। संस्थाप्रधान की ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित करने के आदेश एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित करने के आदेश एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों की जिलेवार/पंचायतवार सूची विमागीय वेबसाईट्स shiksha.rajasthan.gov.in, www.rajssa.nic.in एवं www.rajrmsa.nic.in पर उपलब्ध है।

पंचायती के परिपन्न क्रमांक যাতা विभाग एफ. 40MTW / विधि / पंरावि / 2016 / 832 दिनांक 08.11.2016 . से ग्राम पंचायतों में 6000 / - रूपये प्रतिमाह के नियत .मानदेय पर पूर्णतया अस्थाई आधार पर एक वर्ष हेतु ग्राम पंचायत सहायक लगाये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश 'जारी किये गये हैं (संलग्न परिशिष्ठ 'क')। इस परिपन्न में पंचायती राज विभाग के परिपन्न क्रमांक एफ 4 ()MTW /विधि/पंशवि/2016/68, दिनांक 27.01.2017 (संलग्न परिशिष्ठ ख) के द्वारा संशोधन करते हुए ग्राम पंचायत सहायक के कर्तव्यों एवं दायित्वों में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सौंपे गये विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के लिये संपादित किये जाने वाले कार्यों में सहयोग प्रदान करना भी सम्मिलित किया गया है। इसी परिपन्न से ग्राम पंचायत सहायक के चयन को ग्राम पंचायत के प्रदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से

1

सम्बद्ध विद्यालय की विद्यालय दिकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) की कार्यकाश समिति के द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है एवं चयन किये जाने की प्रदिय हेतु यांछित दिशा—निर्देश तथा इस प्रयोजनार्थ गठित की जाने वाली जिला स्तरीय समिति के लिये निर्देश जारी करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है.

पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4()MTWविधि/पंरावि/2016/68 दितांक 27.01,2017 के क्रम में ग्राम पंचायत सहायको के चयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है :--

- 1. पिंचायती शूफ़ विभाग के परिपूत्र क्रमांक एफ. 4()MTW / विधि / पंरावि / 2016 / 68 दिनांक 27.01.2017 के अनुसार गाम पंचायत सहायक का चयन ग्राग पंचायत के पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से सम्बद्ध विद्यालय की SDMC की कार्यकारी समिति के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (विद्यालय का संस्था प्रधान एवं अध्यक्ष SDMC) द्वारा दिनांक 17.02.2017 को SDMC की कार्यकारी समिति की विरोध बैठक बुलाई जावेगी। बैठक में ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं प्रदेन सचिव को विरोध आमंत्रित सदस्य के रूप ने बुलाया जायेगा।
- 2. जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी–प्रथम द्वारा पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रणंक एक. 40MTW /विधि/पंराविं/2016/832 दिनांक 08.11.2016 के परिशिष्ट–1 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवंटित ग्राम पंचायत सहायक की सख्या के आधार पर संलग्न परिशिष्ठ–गें के प्रारूप के अनुसार सूचना/विझप्ति जिला स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक 09.02.2017 से पूर्व प्रकाशित की जावेगी।
- 3 बिन्दु संख्या 2 की कार्यवाही के पश्चात पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (विद्यालय का संस्था प्रधान एवं अच्यक्ष SDMC) द्वारा ग्राम पंचायत सहायक के चयन के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना/विज्ञपित संलग्न परिशिष्ठ-घ के अनुरत्तर दिनाक 10.02.2017 से पूर्व विद्यालय तथा ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरना की जावेगी।
- 4. याम पंचायत सहायक हेतु अईतायें पंचायती राज विभाग के परिषत्र कमाक एक 40MTW / विधि / परावि / 2016 / 68 दिनांक 27 01.2017 के अनुसार होगी।
- 5 आवेदक द्वारा परिशिष्ठ-च पर सलग्न प्रारूप में अपना आवेदन पत्र मय स्वप्रमाणित बदस्तावेज सम्बन्धित SDMC की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष (पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान) अथवा उसके द्वारा नामित SDMC के सदस्य सचिव को दिनांक 16.02.2017 तक विद्यालय समय (प्रात 9.30 स साथ 3.40

2

वज तक) में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत किया आवेगा। एक आवेदक एक ही ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक ग्राम पंचायतों में आवेदन करना पाया जाने पर दोनों अथवा सभी आवेदन पत्र रद्द समझे जायेंगे।

- 6. ग्राम पंचायत सहायक के आवेदन हेतुं रूपये 100/- नकद संबंधित विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) में जमा कराये जावेंगे तथा आवेदन पत्र के साथ रसीद संलग्न की जावेगी।
- 7 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ उसी जिले का निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र, आयु संबंधी प्रमाण–पत्र एवं कार्य का अनुमय प्रमाण–पत्र (यदि हो तो) संलग्न किया जाना अवश्यक होगा।
- 8 सभी ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत सहायक के चयन हेतु दिनांक 17 02 2017 को दोपहर 10.00 बजे SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर आवेदकों के साक्षात्कार एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर चयन की प्रक्रिया उसी दिन पूर्ण की जायेगी। आवेदक को व्यक्तिगत रूप से चयन के दिन सम्यन्धित विद्यालय में SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान साक्षात्कार हेनु मूल दस्तावेजो सहित प्रात 9:00 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। आवेदक के अनुपरिधत होने पर आवेदन पत्र पर विद्यार नहीं किया जावेगा। इस बैठक में ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जावेगा।
- 9. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (विद्यालय का संस्था प्रधान एवं अध्यक्ष SDMC) द्वारा SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक के दिन ही समस्त प्रयन की प्रक्रिया पूर्ण कर चयनित आवेदकों के नाम मय समस्त दस्तावेज संबंधित बनाक प्रारभिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किये जावेंगे।
- 10. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अगले कार्य दिवस (दिनांक 21.2.2017) को पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव मय समस्त आवेदन पत्रो एवं सलग्न दस्तावेजों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पुरिषद से अनुमोदित करवाये जाने की अनुशंघा हेत निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष, प्रस्तुत, किया जायेगा :-
  - (i) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा प्रथम अध्यक्ष
  - (ii) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय सदस्य
  - (iii) जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा प्रथम सदस्य
  - (iv) संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी —

, सदस्य सचिव

उपरोक्त कार्यवाही हेतु बैठक का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा प्रथम/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय में किया जावेगा।

- 11.उपरोक्त समिति द्वारा अनुशांसित सूची को जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के समक्ष दिनांक 23.02.2017 तक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा एव अनुमोदन पश्चात् सम्हन्धित पर्दन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एव पदेन\_ सचिव को पंचायती राज विभाग के परिपन्न क्रमांक एफ. 40MTW /विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.2017 के अनुसार औपचारिक आदेश जारी करने हेतु उपलब्ध करायाया जावेगा।.सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पदेन सन्निध द्वारा अनुमोदित सूची प्राप्त होने वाले दिन ही आदेश जारी किया जावेगा।
- 12.जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा नहीं किए जाने अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी. जिला परिषद द्वारा अनुमोदन नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित पर्वन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबधन समिति (SDMC) ) की कार्यकारी समिति की पुनः बैठक आयोजित कर नये नाम प्रस्तावित किए जान की कार्यवाही की जायेगी जिसकी तिथि का निर्धारण निवंशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा राज्य सरकार की अनुमति से किया जावेगा।
- 13. उपरोक्तानुसार कार्यवाहीं सुनिश्चित कराने हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग स्तर पर, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला स्तर पर जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रथम एवं पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय एवं जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वितीय इस कार्य में सम्बन्धित नोडल अधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगे।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त सम्बन्धित को कार्यवाही करने हेतु 'दरा। निर्देश जारी कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

यह दिशा निर्देश पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग में सक्षम स्तर पर अनुमोदन जपरांत जारी किये जाते हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार । (पृष्ठ संख्या 6 से 17 तक)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- 2 टिशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्यमंत्री (प्राoशिo –स्वतंत्र प्रभार)।
- 4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- 5 निजी सचिय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभग्ग।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर !
- आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- 10. जिला कलक्टर्स -- समस्त।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिo मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद –सगरत।
- 12. उप निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।
- 13. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा. समस्त ।
- 14. विकास अधिकारी -- समस्त।
- 15. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी -- समस्त।
- रक्षित प्रत्रावली।

12/2017 संयुक्त शासन सचिव

#### राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प.1(24)प्राशि/आयो./2015/

10.00

जयपुर दिनांगः 06/02/2017

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

विषय :- ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने के लिये जयन हेलू दिशा निर्देश ।

इस दिभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.02.2017 में प्राप्त पंसादर सहावता के आवदेक की आयु के संबंध में निम्नानुसार प्रायधान किया जाता है –

"आवेदक की आयु दिन्नोंक 01.01.2017 को 21 दर्ष से अन्यून होनी आपरयक है।"

तदनुसार संशोधित परिशिष्ठ 'घ' संलग्न प्रेपित है।

संलग्नः संशोधित परिशिष्ठ –''घ''

रास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही डेडू-

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदयाः
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, यामीण विकास एवं पंचायती राज दिनान।
- विशिष्ट सहायक; शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रमार) एवं पंचायली राज राज्यमंत्री
- (प्रा0शि० --स्थलन्न प्रभार)।
- ब. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- 6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शुरुसन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- 7. निजी संचिव, ऑयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- 8. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- 9. आयुक्स, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- 10. जिला कलक्टर्स समरत।
- ी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति० मुख्य कार्यजारी अधिकारी, जिला परिषद समाल।
- 12. उप'निदेशक प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।

13. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।

14. विकास अधिकारी -- समस्त।

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

15. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – समस्त।

212012 मंघनीत कुम्लर ) REAL TRANSMENT

#### कार्यालय विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) (विद्यालय का नाम मय ग्राम, ग्राम पंचायत पंचायत समिति पूर्व जिले का नाम)

कमांक:

दिनांकः

#### सूचना

- जिले की पंचायत समिति \_\_\_\_\_ को ग्राम पंचायत \_\_\_\_\_ क लप \_ स्वयं 6000/-- मासिक मानदेय पर पूर्णतया अस्थायी आधार पर एक वर्ष के लिए \_\_\_\_\_ (संख्या) याम पंचायत सहायक नियोजित किये जाते हेतु चयन किया जाना है। इस हेतु आवेदक की न्यूनतम अर्हताये निम्नानुसार है--
  - आवेदक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से रीमियर सैकण्डरी था इसके समकक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
  - (ii) आवेदक का जिस जिले में ग्राम पंचायत स्थित है; उस जिले का नियासी होना आवश्यक है।

(iii) आवेदक की आयु दिवाक 1/2017 को 21 वर्ष से अन्यूत होनी आवश्यक हैं। आवेदन पत्र विद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है। इक्छुक आवेदक द्वारा रूपये 100/-नकद संबंधित विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) में जमा कराये जाकर विद्यालय कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना आवेदन पत्र मेंय स्वप्रमाणित दस्तायेज संस्था प्रधान अध्ये उसके द्वारा नामित SDMC के सवस्य संयिव को दिनाक 16.02.2017 तक विद्यालय समय (प्रात: 9.30 से सांय 3.40 बजे तक) में व्यक्तिश. उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जायेगा। एक आवेदक एक ही प्राप्त पंचायत में आवेदन कर संकेगा। एक से अधिक ग्राम पंचायती में आवेदन करना मांया जाने पर दोनों अथवा सभी आवेदन पत्र रवन समझे जायेंगे।

 आवेद्क द्वारा ग्राम पंचायत सहायक के आवेदन मैंत्र के साथ निग्नलिखित दस्तायेज संलग्न किये जायेंगे :-

शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्न (स्वप्रमाणित) !

st.

#### राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक: प. १५(१)प्राप्ति / २०१७

जयपुर, दिनांक: 1 4 MAR 2018

- 1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग
- 2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
- 5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
- 7. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा , समस्त।
- जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, समस्त।

### विषय:-- ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा परिपत्र एफ 4() MTW/विधि/पंरावि/2016/68 दिनाक 27.01.2017 जारी किया गया, जिसके अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पृथक से आज्ञा जारी कर ग्राम पंचायत के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किये जाने एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सौंपे गये विभिन्न दायित्वों का निवर्हन करने के लिए सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में सहयोग का कार्य ग्राम पंचायत सहायक द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त परिपत्र में ग्राम पंचायत सहायक के चयन, कर्त्तव्य एवं दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है।

तत्नुसार स्कूल शिक्षा विभाग की आज्ञा दिनांक 28.01.2017 द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी एक राजमावि/रामावि के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में अवस्थित राजप्रावि/प्रावि के लिए पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किया जाकर कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग परिपत्र एफ 4() MTW/विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.2017 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु ग्राम पंचायत सहायक लगाये जाने वावत् दिशा–निर्देश दिनांक 01.02.2017 एवं 08.02.2017 को जारी किये गये है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कर्त्ताव्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा—निर्देश दिनांक 11.04.02017 को जारी किये गये है। विभाग द्वारा पंचायती राज

2.6

विभाग के अनुमोदन उपरांत दिनांक 29.05.2017 द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है (परिशिष्ठ—1)। ग्राम पंचायत सहायकों के दायत्वि एवं कार्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाते है :--

- ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन बाबत् सौंपे गये विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के मासिक निरीक्षण से सम्बन्धित आवंटित सगस्त कार्य करेंगे।
- 3 ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु आयोजित की जाने वाली समस्त बैठकों के आयोजन एवं प्रबंधन से सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 4. ग्राम पंचायत में 6 सें 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा से जोडने के लिए उक्त आयु वर्ग के बच्चों के चिन्हीकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 5 ग्राम पंचायत में अनामाकित/ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हीकरण करते हुए पंचायत की बैठकों/विद्यालय की विकास समिति/प्रबंधन समिति की बैठकों में पंचायत के नागरिकों/अभिभावकों को बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करवाने के संबंध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 6. ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, नामांकन वृद्धि, आधारमूल संरचना विकास आदि के लिए प्रस्ताव तैयार करवाने एवं विद्यालयवार कार्य योजना निर्माण व कियान्वयन के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंदित समस्त कार्य।
- 7. ग्राम पंचायत में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के विकास एवं निर्माण में भामाशाहों/दानदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क एवं सहयोग प्राप्त करने हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 8. ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य संपादन के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य।
- 9. राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 10. प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर के विद्यालयों की समस्त प्रकार की सूचनाओं के शाला दर्शन/शाला दर्पण/अन्य पोर्टल पर आदान-प्रदान/अपडेशन/प्रविष्ठि के संबंध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 11. ग्राम पंचायत में स्थित सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावक—अध्यापक परिषद की बैठकों में ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं के बारे में अवगत/जानकारी कराये जाने के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 12. ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में प्रारम्भिक शिक्षा की शिक्षण व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों की प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान किये जाने हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आयंटित समस्त कार्य करेंगे।



- 13. ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी) से सम्बन्धित कार्य करेंगे।
- 14. पंचायत सहायक ग्रामीण जन को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे।
- 15. रचच्छ भारत अभियान में सकिय योगदान कर पंचायत के नागरिकों को ग्रेरित करेंगे।
- 16. ग्राम पंचायत के राजकीय कार्यों में ग्राम पंचायत सहायकों का सहयोग लिया जा सकता

81

उपरोक्तानुसार पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण से सम्बन्धित कायों में यदि में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता, अनुशासनहीनता की जाती है तो पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर पंचायती राज विभाग के आदेश कमांक एफ 4() MTW/विधि/पंरावि/2016/832 दिनांक 8.11.2016 के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत सहायक के पृथक्करण की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह किसी भी प्रकार के न्यायिक वाद/अनुतोष के अधिकारी नहीं होंगे।

ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें आवंटित कार्य संतोषप्रद पूर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण संबंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को प्रतिमाह 05 तारीख तक **परिशिष्ठ–2** पर उपलब्ध प्रारूप में प्रेषित किया जायेगा। तद्नुसार ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को मानदेय भुगतान किया जायेगा।

यह पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्-

- 1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- 2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राभीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- लिजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ।
- जिला कलक्टर समस्तं।
- उप निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
- 10. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
- 12. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त।
- 13. रक्षित पत्रावली।



UID DIE -T

राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

कमांक प. 15(1)प्राणि / 2017

जयपुर, दिनांकः 29 MAY 2017

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।

2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-समस्त।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक– समस्त।

विषय:- ग्राम पंचायत सहायकों के मुख्यालय के संबंध में।

राज्य सरकार की आज्ञा कमांक प. 15(1)प्राशि/2017 दिनाक 28.01.2017 एवं पत्रांक प. 1(24)प्राशि/आयो/2015 दिनांक 01.02.2017 के कम में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा।

यह पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के राक्षम स्तर से अनुमोदित है।

2951) शासन/उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- विशिष्ट सहायक, माननाय मंत्री, ग्रामाण विकास एवं पंचायली राज विभाग(स्वतंत्र प्रभार)।
   विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री,शिक्षा एवं पंचायली राज विभाग(स्वतंत्र प्रभार)।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननाथ र 4 निजी सचिव, मुख्य संचिव।
- भिजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, यामीण विकास एव पंचायली राज विमाग।
- 5 मिजी सचिव शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विमाग।
- 8 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 10. जिला कलक्टर समस्त |
- 11 उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
- 12 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
- 13 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त ।
- 14. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ।
- 15. ग्राम सेवक एवं पर्वन सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त।
- 16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

कार्यालय पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत, ....... पं.स. ...... जिला.....

क्रमांक :

दिनांक :

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,

ग्राम पंचायत

पंचायत समिति .....

विषय :- ग्राम पंचायत सहायकों के माह ..... के मानदेय भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाणीकरण।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमाणित किया जाता है कि माह ...... में निम्नांकित ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा उनको आवंटित कार्य का संतोषप्रद तरीके से निष्पादन किया गया है।

अतः इन्हें माह ..... के मानदेय का भुगतान किया जावे।

1.	
2.	
3.	
4.	

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी



#### IMMEDIATE



#### राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग)

### विषयः— ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु सहमति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम पंचायत सहायकों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाये जाने सम्बन्धित आपके प्रस्ताव के क्रम में निवेदन है कि राज्य वित्त आयोग की वर्ष 2019–20 की सिफारिशों के बिन्दु संख्या 10.27 (v) के अनुसार रूपये 200 करोड़ के भुगतान पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किये जाने की सहमति/सिफारिश कर दी गई है। इसकी पालना में पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश भी जारी किये गए हैं ।

अतः उक्तानुसार सहमति/सिफारिश एवं विभागीय दिशा–निर्देशों की प्रति वांछित कार्यवाही करवाये जाने हेतु प्रेषित है। संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

आश्रतोष ए०ट्रीठ शासन सचिव (एवं आयुक्त

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) विभाग।

अ०शा०टीपक० एफ.4()MTW / विधि / पंरा / 2016 / 2003 जयपुर,दिनांकः ७६-९-२०१९



#### राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज)

क्रमांक एफ 165(07)पंरावि/एसएफसी/पंत्रग/दिशा–निर्देश/2019–20 / 2.3.8 4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी/

जयगुर, दिनांक- 05.09.19

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद, समस्त।

विकास अधिकारी,

पंचायत समिति, सगरत।

विषयः- पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय कुल अनुदान राशि में से 55 प्रतिशत राशि मूलमूत एवं विकास कार्यों के लिए (यह केवल वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए), 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों के लिए (यह केवल वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए) तथा 5 प्रतिशत राशि निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी।

आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 7.182 प्रतिशत हिस्से का वितरण वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.1 एवं 24.9 प्रतिशत के अनुपात में किये जाने एवं राशि का वितरण जिलेवार निर्धारित भारांकन के आधार पर राज्य की जिला परिषदों को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत हिस्सा राशि दिये जाने की संस्तुति की गई है।

पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के अध्याय–10 के बिन्दु संख्या–10.39(13) के अनुसार 60 प्रतिशत अनुदान की जपयोगिता के लिए शर्त तब लागू होगी जब किश्त समय पर जारी की जाती है अर्थात् सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में प्रथम किश्त और तीसरी तिमाही में दूसरी किश्त जारी की जावे।

संस्तुति अनुसार राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोग हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है:--

(अ) मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए हस्तांतरित की जाने वाली 55 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु दिशा—निर्देश (यह सिफारिश केवल वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए)

- राज्य वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि के प्रथम चार्ज के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में पेजयल व्यवस्था बाबत् जल योजना के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय (केवल विद्युत व्यय, रखरखाव, पुर्नस्थापना आदि) पर वहन किया जाना है।
- सफाई एवं कूड़े का व्ययन ग्राम पंचायतों दारा प्राथमिकता से नियमित आधार पर निष्पादित किया जाना अनिवार्य होगा।
- पंचायती राज संस्थाएं राज्य वित्त आयोग पंचम के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही राशि से आधारभूत नागरिक सेवाओं के सृजन, संवर्धन एवं रखरखाव से संबंधित निम्नांकित कार्य संपादित कर सकेंगी:-
  - स्वच्छता (जिसमें सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों का निर्गाण/रख-रखाव शामिल है) एवं नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था की जावें।
  - ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्य।
  - III. गलियों एवं सड़को पर प्रकाश व्यवस्था।
  - IV. ग्राम पंचायत की गलियों और सड़कों की दैनिक आधार पर सफाई व्यवस्था।
  - v. सामुदायिक केन्द्रों/श्मशान/कब्रिस्तान के रख-ररखाव।
  - VI. पेयजल आपूर्ति
  - VII. जल टैंकों का रख–रखाव।
  - VIII. स्वच्छता एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से आन्तरिक सड़कों, सीमेंट कांकरीट रोड़ (सी. सी. प्री–कॉस्ट, इंटरलॉकिंग ब्लॉक, पत्थर/ईट खरंजा सहित) मय नाली निर्माण साथ ही फुटपाथ के कार्य अनुमत होंगे। इन कार्यों पर योजनांतर्गत उपलब्ध कराई गई साशि की अधिकतम 60 प्रतिशत सीमा तक राशि खर्च की जा सकेगी।
  - ıx. कम्प्यूटराजेशन, क्षमता विकास एवं आधारभूत ढांचे का सृजन।
  - x. ऑडिट फीस का भुगतान।
  - xi. बस अङ्डों पर टिनशेड एवं जनसुविधाओं की व्यवस्था, प्याऊ एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों का रख–रखाव।
  - xII. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण।
  - XIII. जिला प्रमुखों / प्रधानों एवं सरपंचों के मानदेय एवं भत्तों तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को देय भत्तों का भुगतान वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों से इस मद अन्तर्गत प्राप्त राशि से किया जावेगा।
- XIV. पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के अध्याय–13 के बिन्दु संख्या–9 के कम में शिवरों/अभियानों के लिए ग्राम पंचायत पर राशि रू. 0.50 लाख, पंचायत समिति पर राशि रू. 1.00 लाख और जिला परिषद पर राशि रू. 1.50 लाख की सीमा तक प्रतिवर्ष व्यय की जा सकेगी।

- XV. पंचम राज्य वित्त आयोग, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों के अध्याय–10 के पैरा संख्या 10.27 के बिन्दु संख्या–(V) में आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अनुदान की रकम में से मल्टीटॉस्क स्टॉफ को पारिश्रमिक का संदाय अधिकतम 200.00 करोड़ रूपये वार्षिक व्यय किया जा सकेगा, जिसके लिये पृथक से निर्देश प्रसारित किये जावेगे।
- XVI. ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति भवनों का निर्माण/रखरखाव/उन्नयन।
- xvii. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन राजकीय विद्यालयों में शौचालयों का रखरखाव।
- xviii. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन राजकीय विद्यालयों में कक्षा—कक्षों का निर्माण/रखरखाव/जन्नयन।
- XIX. पंचायती राज संस्थाओं के अधीन विद्यमान भवनों का अनुरक्षण/उन्नयन; नवीन ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों के भवनों का संनिर्माण, पौधारोपण; विद्यालयों, आंगनबाड़ियों इत्यादि में शौचालयों का संनिर्माण चारदीवारी स्थानीय आवश्कताओं के अनुसार किया जावेगा।
- (ब) राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता स्कीमों के लिए हस्तांतरित की जाने वाली 40 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु दिशा—निर्देश (यह सिफारिश केवल वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए)

राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों के लिए प्राप्त 40 प्रतिशत रकम को निम्नलिखित में से किसी भी क्रियाकलाप के लिए उपयोग में लिया जा सकता है :—.

- 1. सूचना प्रौद्योगिकी/ई-गवर्नेन्स /डाटाबेस का उपयोग।
- 2. पेयजल/जनता जल योजना/आर.ओ. प्रणाली।
- 3. जल स्वावलम्बन अभियान/वृक्षारोपण।
- 4. स्वच्छ भारत अभियान/विद्यालय स्वच्छता/खुले में शौच से मुक्त ग्राम।
- अन्नपूर्णा रसोई योजना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण।
- 7. सौर/एल.ई.डी. लाईटों का उपयोग।
- अग्निशमन सेवाएं।
- लिंग संवेदीकरण –बेटी बचाओ बेटी पढाओ।
- 10. मुकदमेबाजी रहित ग्राम/शहर/अपराध से मुक्त ग्राम।
- 11. युवा विकास के लिए क्रियाकलाप (जैसे:—खेल, खेल—कूद, कौशल, स्वच्छता एवं उनके व्यक्तित्व विकास हेतु कैम्पों का आयोजन जिनमें राष्ट्र निर्माण कियाकलाप सम्मिलित हो।

नोटः– आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के बिन्दु संख्या 4 (अन्य सिफारिशों) (i) के अनुसार आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत देय राशि का उपयोग किसी व्यक्ति/कार्मिक/जन प्रतिनिधि की निजी आवश्कताओं के लिए नही किया जावेगा।

### (स) निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में हस्तांतरित की जाने वाली 5 प्रतिशत राशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश

पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015–20 के लिए) वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान बाबत् की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के बिन्दु संख्या–3 के कम संख्या 1(अ) के अन्तर्गत 5 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किसी भी एक कार्य को पूर्ण करने पर देय होगी:--

- 1. आय और व्यय के लेखाओं का समयबद्ध रखरखावः— राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 11 के निगम 228 से 230 के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2015–16 में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आय व्यथ के लेखों के रागुचित रांधारण के लिए दिया जावेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा आय—व्यय के लेखों के संधारण के लिए सबधित पचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के आय—व्यय लेखों के संधारण के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। पंचायत समितियों के आय—व्यय लेखों के संधारण के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहरताक्षर होना आवश्यक होगा। जिला परिषदों में आय—व्यय के लेखों के संधारण हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठतम लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाणं पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।
- 2. "आस्ति रजिस्टर"(Asset Register) सहित अभिलेखों का रखरखाव:- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 9 के नियम 136 से 139 अन्तर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2015-16 में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आस्ति रजिस्टर एवं स्थावर सम्पत्तियों के लेखों के समुचित संधारण के लिए दिया जावेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों को संधारण के लिए संबंधित पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों के संधारण के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/अतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों के संधारण के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। एवं यक्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितियों के आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों के संधारण के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संघारण हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। जिला परिषदों में आस्ति रजिस्टर एवं संबंधित लेखों के संघारण हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

3. पूर्व वर्ष की तुलना में स्वयं के राजस्व (निजी आय) में वृद्धि:-- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 7 व 8 के नियमों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2015-16 में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राजस्व (निजी आय) में न्यूनतम 10 प्रतिशत की वृद्धि होने पर दिया जावेगा। ग्राम पंचायतों में निजी आय में वृद्धि के लिए संबंधित पंचायत समिति में पदस्थापित विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे प्रमाण पत्र पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। पंचायत समितिियों के निजी आय में वृद्धि के संबंध में संबंधित जिला परिषद में पदस्थापित लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। जिला परिषद की निजी आय में वृद्धि हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. गुख्य कार्यकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला परिषद की निजी आय में वृद्धि हेतु जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आति. गुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, जिस पर जिला प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

पंचायती राज संस्थाओं को 5 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि उक्त कार्यों में से किसी भी एक कार्य को पूर्ण करने का प्रमाण पन्न दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक विभाग (मुख्यालय) को प्राप्त होने पर ही देय होगी। निष्पादन के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में हस्तांतरित की जाने वाली 5 प्रतिशत राशि हेतु वांछित प्रमाण पन्न प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित नहीं की जावेगी. जिसके लिए संबंधित पंचायती राज संस्था खयं जिम्मेदार होगी।

### राशि के उपयोग एवं लेखा सम्प्रेषण की प्रकिया :--

ग्राम पंचायतों द्वारा योजना अन्तर्गत प्राप्त राशि का मासिक लेखा संबंधित पंचायत समिति को आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। पंचायत समितियों द्वारा ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समिति को प्राप्त कुल राशि का मासिक व्यय विवरण जिला परिषद को प्रतिमाह 10 तारीख तक एवं जिला परिषदों द्वारा ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं उन्हे प्राप्त कुल राशि का मासिक व्यय विवरण प्रतिमाह 15 तारीख तक विभाग को प्रस्तुत किया जावेगा। इन लेखों में योजना अन्तर्गत संपादित किये जा रहे कार्यों पर हुए व्यय, बैंक खातों में योजनांतर्गत उपलब्ध राशि, गत माह में इन कार्यों हेतु आहरित राशि एवं भौतिक प्रगति का विवरण सम्मिलित किया जावेगा।

(i) योजनातंर्गत कार्यों का संपादन प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2015 में अंकित तकनीकी मापदण्डों एवं प्रावधानों के अनुरूप किया जावेगा। प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने की शक्तियां प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुरूप रहेंगी।

- (ii) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कार्यों का निष्पादन राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अध्याय 10 के अनुरूप तथा समय–समय पर किये गये संशोधनों/दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जावेगा। योजना की राशि का व्यय करते समय वित्तीय नियमों/ प्रकियाओं/RTPP Act/RTPP Rules एवं समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
- (iii) यह दिशा—निर्देश राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट (2015—20 के लिए) वर्ष 2019—20 के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही विवरण (ATR) के अनुसरण में जारी किये जा रहे है। उपरोक्त दिशा—निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का होगा।

(iv) ये दिशा निर्देश वित्त विभाग की आई डी संख्या 101904106 दिनांक 05.09.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं। संलग्नः– मासिक प्रगति प्रारूप।

क्रमांक एफ १८५(०७)पंरावि/एसएफसी/पंचम/दिशा-निर्देश/2019-20

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं फ्रेंगयती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सहायक, महालेखाकार, राज. जयपुर।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 5 संयुक्त सचिव वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग।
- 6 संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-5) विभाग।
- 7 निर्देशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन ज्योति नगर, जयपुर।
- 8 समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद।
- 9 प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु। 10 रक्षित पत्रावली।

(अप्रशुतीष ऐ.टी. पेर्खेणेकर) रासन सचिवे एवं आयुक्त

जयपुर, दिनांकः-

वित्तीय सलाहकार

जिला परिषद ......

HIE.....

राज्य वित्त आयोग–पंचम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

1

(राशि लाख रू. में)

1.04.2015 번 अब तक की प्रगति 		यू.सी.	अवशेष प्रेषित बकाया स्वीकृत राशि कुल यू.सी. कुल यू. सी. कार्य	7 8 9						
ो आब तक की प्रगति बुल् में से अनुसूरित कुल जाति के लिए नहीं प्राप्त च्यूल खुल स्वीकृत पूर्ण खुल गये कार्य थुल स्वीकृत पूर्ण खुल गये वर्ताय खुल स्वीकृत पूर्ण खुल वर्ताय खुल गये वर्ताय खुल स्वीकृत पूर्ण वर्ताय खुल वर्ताय खुल गये वर्ताय खुल वर्ताय खिल् वर्ताय खुल वर्ताय कार्य वर्ताय खुल वर्ताय कार्य वर्ताय कार्य कार्य वर्ताय कार्य वर्ताय कार्य कार्य वर्ताय कार्य कार्य कार्य कार्य वर्ताय कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार कार कार्य कार कार कार कार कार कार कार कार कार कार			स्वीकृत कुल कार्य			1				
तक की प्रगति बुल में से अनुसूहित जाति के लिए प्राप्त	2015 저 31		अपूर्ण							
कुल भारत 17 सिंभि	(1 d)		N DA IN	13	-					
कुल प्राप्त राशि	ति	िसे अनुसूहित ति के लिए	ल स्वीकृत पू य थुल श्रे कार्य	13						
관 333         18         18         19           18         18         18         18         18		कुल	र्ग कुल प्राप्त सांधि	17					-	
चेत कृत व		से अनुसूचित 1ति के लिए	रुल स्वीकृत यय कुल गरि। कार्य	18 19						

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ......

### राजस्थान सरकार वित्त (वित्त आयोग एवं आर्थिक मामलात अनुमाग) विमाग

# पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही (Action Taken) का ज्ञापन।

मंचम राज्य वित्त आयोग का गठन माननीय राज्यपाल महोतय के आदेश विनांक 29 मई, 2015 (जिसे वित्त विभाग की अधिसूचना कर प 5(1) वित्त/ विआएवंआमा/एसएफसी/2014 दिनांक 30 मई 2015 द्वारा प्रसारित किया गया) द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। आयोग का कार्यकाल समय-समय. पर बढ़ाया गया। आयोग द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को दिनांक 28 नवम्बर, 2018 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इससे पूर्व आयोग द्वारा वर्च 2016-2016 के लिए अनन्तिम व्यवस्था हेतु दिनांक 15 सिंतम्बर, 2015 को अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। आयोग द्वारा वर्च 2016-2016 के पटल पर रखा गया था। आयोग द्वारा वर्ष 2016-2017 के लिए अनन्तिम व्यवस्था हेतु दिनांक 1 सितम्बर, 2016 को अपना अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे कार्यवाही के जापन के साथ 2 सितम्बर, 2016 को सदन के पटल पर रखा गया था।

2. पंचम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन जो कि 1 अप्रेल 2015 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि से संबंधित है तथा उसमें की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन संविधान के अनुच्छेद 243 आई(4) तथा 243 वाई(2) के तहत सदन के पटल पर रखा जा रहा हैं। आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायो को राशि अन्तरण, अनुदान एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों एवं सुझावों का सारांश अपनी रिपोर्ट में दिया गया है।

3. राज्य सरकार द्वारा आयोग की मुख्य सिफारिशों पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया है जिनका विवरण एवं राज्य सरकार द्वारा की जाने वांली कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.स.	सिफारिश	राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली
(1) (i)	क्षतिपति राशि को छोटकर) कर २०	कार्रवाई का विवरण अंतरण के सम्बन्ध में सिफारिशे: राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्वयं के शुद्ध राज्य कर राजस्व (माल एवं सेवा कर के बदले प्रतिकर को छोड़कर) में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों का हिस्सा 8.50% किये जाने की
-		सिफारिश स्वीकार नहीं की जाकर, इसके स्थान पर आयोग द्वारा वर्ष

	(ii)	2015–16 एवं वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तुत अन्तरिम प्रतिवेवनों में की गई सिफारिश के अनुसार 7.182% रखा जाना रवीकार किया गया है। राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (भारत सरकार से प्राप्त जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति राशि को छोड़कर) के 8.5 प्रतिशत हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय त्विकायों के मध्य 70 एवं 30 प्रतिशत के अनुपात में किया जाये। प्रविशत रखा जाना स्वीकार किया गया है।	•
(i (iv)	ः उस एक एर एर	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को करों में से देय हिस्सा राशि में से कमशः 40 एवं 20 प्रतिशत राष्ट्रीय/राज्य की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर उपयोग किये जाने की सिफारिश की गई है। गायोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं वं नगरीय स्थानीय निकायों को रहे । आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई है। गायोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं वं नगरीय स्थानीय निकायों को रहे । आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015–2016 से 2018–2019 आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई है। गायोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं वं नगरीय स्थानीय निकायों को रहे । आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015–2016 से 2018–2019 की अवधि के लिए राशि अंतरित की जा चुकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश की जा	
(v)	एव स्व सम् और योग प्रोत मई संस्थ निक को, करते	योग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं       है।         योग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं       आयोग की प्रोत्साहन राशि सम्बन्धी         तं नगरीय स्थानीय निकायों को       सिफारिश अन्तरिम रिपोर्ट में की गई         यं के संसाधनों को बढ़ाने और       सिफारिश के अनुरूप है, अतः राज्य         तय पर लेखों का रख-रखाव       सरकार द्वारा आयोग की यह         र संपरीक्षा के लिए, अन्तरण       सरकार द्वारा आयोग की यह         त्य निधियों की 5 प्रतिशत       सिफारिश स्वीकार की गई है।         त्य निधियों की 5 प्रतिशत       अन्तिम वर्ष होने के कारण आयोग         है। साथ ही पंचायती राज       अन्तिम वर्ष होने के कारण आयोग         हौ। साथ ही पंचायती राज       अन्तिम वर्ष होने के कारण आयोग         वाओं एवं नगरीय स्थानीय       सम्बन्ध मे की गई सिफारिश         जाने ये विचारों का निष्पादन       स्वीकार नही की गई है।         तो नये विचारों का निष्पादन       संवेकार नही की गई है।         मान्यता दिये जाने हेतु,       संकर्प	

	सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए एक स्कीम बनाने और इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए अनुपयोगी प्रोत्साहन राशि का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।	
(2)	पंचायती राज संस्थाएँ	
(i) (ii)	आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व में से आवंटित की जाने वाली राशि के जिलेवार वितरण, जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र और अन्य सामाजिक आर्थिक मापदण्डों जैसे लिंगानुपात, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, शिशु मृत्यु दर, बालिका शिक्षा, दशकीय जनसंख्या वृद्धि में गिरावट और 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) पर आधारित वंचन सूचकांक के आधार पर निर्धारित किये गये मानदण्ड़ों और भारों के आधार पर किये जाने की सिफारिश की गई है। प्रत्येक जिले के लिये निर्धारित	को सज्य के स्वयं के शुद्ध क राजस्व में से आवंदित की जाने वाली राशि के जिलेवार वितरण हेत् निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अनुपात अन्तरिम प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के अनुरूप है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार किया गया है। आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों में की
.)	ाहस्स म स जिला परिषद को 5 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 20 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों को 75 प्रतिशत भाग दिया जाये। 2	गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2015–2016 से 2018–2019 की अवधि के लिए राशि अंतरित की जा युकी है। अतः राज्य सरकार द्वारा आयोग की यह सिफारिश केवल वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकार की गई
(3)	नगरीय स्थानीय निकाय आयोग द्वारा अपने वर्ष 2015–16 3 एवं वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तुत ग अन्तरिम प्रतिवेदनों में नगरीय 20 स्थानीय निकायों के हिस्से की राशि अ को नगरीय स्थानीय निकायों के चुन तीन स्तरों पर वितरण के निर्धारित आ	मयोग के अन्तरिम प्रतिवेदनों में की ई सिफारिश के अनुसार वर्ष 015-2016 से 2018-2019 की वधि के लिए राशि अंतरित की जा की है। अतः राज्य सरकार द्वारा योग की यह सिफारिश केवल वर्ष 19-20 के लिये स्वीकार की गई

-	जनसंख्या और 15% क्षेत्र के आधार पर वितरित किया जाये। शेष 20% निधियां सभी नगरपालिकाओं के मध्य जनसंख्या के आधार पर और 10% निधियां नगरपालिकाओं को उच्चतम प्रति व्यक्ति स्वयं की आय से प्रति व्यक्ति स्वयं की आय विचलन के अनुपात में वितरित की जाने की सिफारिश की गई है।
(4	) अन्य सिफारिशेः
(i)	आयोग द्वारा यह भी सिफारिश की गयी है कि आयोग की सिफारिश के अर्न्तगत देय राशि का उपयोग के तिसी व्यक्ति/कार्मिक/जन प्रतिनिधि की निजी आवश्यकताओं के लिए नही किया जाना चाहिये।
(ii)	14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त       आयोग की अन्तरिम प्रतिवेदनों के अनुसार 2015–16 से 2018–19 के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय नगरीय स्थानीय निकायों को राशि अग्रियोग ने वहीं मापदण्ड अपनाने की सिफारिश की है, जो राज्य वित्त आयोग की यह सिफारिश 14वें वित्त आयोग की यह सिफारिश 14वें वित्त आयोग को यह सिफारिश 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि के वितरण के संबंध में
(iii)	आयोग द्वारा वित्तीय अंतरण के अलावा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को सुदृढ़ करने, कर-आधार को बढ़ाने, लेखा संधारण आदि के संबंध में अन्य सुझाव भी दिये गये हैं। जिर्मय समुचित स्तर पर लेने हेतु, निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुसार, अग्रिम कार्यवाही करने के लिए राज्य वित्त आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन उन्हें अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

\$

238

### क्रियान्वितिः

- (i) राज्य के वास्तविक शुद्ध कर राजस्त से अंतरण के संबंध में आदेश पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।
- (ii) आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत अंतरित राशि के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा—निर्देश संबंधित विभागों द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

(अशोक गडलोत) मुख्यमंत्री

दिनांक : 23जुलाई, 2019

4.

(v) मल्टी टास्क स्टॉफ को संदाय-पंचायती साल संस्थाओं के पास लगभग 19 हजार मल्टी टास्क स्टाफ है और उनके पारिश्रमिक के संदाय के लिए 200 करोड़ रु. के उपबंच के लिए कहा गया है। जब से इन कर्नकारों को नियुक्त किया गया है, उनको पारिश्रमिक का संदाय किया जाना है। इस स्थिति को दुष्टिगत रखते हुए. हमारे द्वारा सिफारिश किये गये अनुदान की स्कम में से इन संदायों को करने के लिए हम सहमत हैं। तथापि विभिन्न बैठकों और क्षेत्रों का खौरा करने के दौरान, कुछ सरपंचों ने इस प्रबंध पर असंतोष प्रकट फिया है कि इन मल्टी ढास्क स्टाफ के पारिश्रमिक का सदाय तो ग्राम पंचायतों से किया जा रहा है, फिन्दु ने विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार को हरतक्षेप करना चाहिए और इस मामले को निप्रदाना चाहिए क्योंकि इससे अस्पष्टता और दोहरा नियन्त्रण प्रकट होता है।

(vi) जनता जल योजना का संदाय-इन स्कीमों के बिजली के बिलों और अन्य दावों के संदाय में समस्या आ रही है। इसके अतिरिक्त, ये स्कीमें समस्त ग्राम पंचायतों में नही हैं। कुछ ग्राम पंचायतों में इनकी संख्या अधिक है जबकि अन्य में इनकी संख्या नगण्य या शून्य है। इन स्कीमों के लिए संदाय को लेकर ग्राम पंचायतों के मध्य आकोश की स्थिति बनी हुयी है। यह एक प्रशासनिक मामला है और सज्य संस्कार द्वारा खुलझाया जाना चाहिए। तथापि, आयोग को कोई आपत्ति नहीं है यदि इन स्कीमों को संदाय केन्द्रीकृत तरीके से किया जाता है (विभाग के मुख्यालय से या संबंधित जिला परिषद के माध्यम से)।

2.4

3700

(vii) पंचायती राज विभाग ने प्रस्वात्वर्ती किस्त जारी करने के लिए 60 प्रतिशत उपयोगिता की शर्त के अधित्यजन के लिए कहा है। हमारी यह राय है कि चूंकि कई बार निधियों को जारी करने में कुछ या अन्य कारणों से देरी हो जाती है, यह शर्त केवल तब लागू होनी चाहिए जब किस्तें समय पर जारी की जाती है, अर्थात् संबंधित विसीय वर्ष की पहली तिमाही में पहली किस्त और तीसरी तिमाही में दूसरी किस्त। स्वायत्त शासन विभाग

10.28रिपोर्ट के पूर्व अध्याय में स्वायत्त शासन विभाग के ज्ञापन के बारे में चर्चा की जा चुकी है। विभाग ने नगरीय स्थानीय निकायों इत्यादि को अन्तरित / अन्तरित किय जाने की

29n

Scanned by CamScanner

239

#### अत्यावश्यक

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर Gain 20/09/2017

क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/एफ-१ए/ग्राम पंचायत सहायक/2017/

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी. माध्यमिक शिक्षा (प्रथम,द्वितीय)/ प्रारम्भिक शिक्षा (प्रथम,द्वितीय)

- विषयः— ग्राम पंचायत सहायकों के चयन से शेष रही ग्राम पंचायतों में चयन के सम्बन्ध में।
- प्रसंग :- शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक प.15(01) प्राशि/2017 जयपुर, दिनांक 15.09.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है पंचायती राज विभाग के परिपन्न प.4( )एमटीडब्ल्यू/विधि/परायि/2016/832 दिनांक 08.11.2016 द्वारा ग्राम पंचायत सहायक लगाये जाने हेतु जिलेवार संख्या का निर्धारण किया गया था। तबाश्चात पंचायती राज विभाग के परिपत्र दिनांक 27.01.2017 तथा शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 01.02.2017 एवं 08.02.2017 के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने बाबत् विस्तुत दिशा–निर्देश जारी किये गये के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि पंचायती राज विभाग द्वारा संशोधित की गई ग्रान पंचायत सहायकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 01.02.2017 एवं 08.02.2017 (छाया प्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रियानुसार ग्राम पंचायत सहायक लगाये जीने बाबत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी कलेण्डर अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिष्टिचत करावे।

सलंग्नक- इपिरोक्तानुसार

आई.ए.एस निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, -बीकानेर

आई ए एस माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् -

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
- विशिष्ठ सहायक राज्यमंत्री (खतन्त्र प्रभार) प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर को सूचनार्थ ।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।

- निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
- तजी सचिव / स्टाफ ऑफिसर, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 10. उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समरत को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रासंगिक पत्र में वर्णित कलेण्डर की पालना जिला शिक्षा अधिकारी से करवाई जाकर कार्य की सम्पूर्ण मोनेटरिंग एवं प्रबोधन किया जावें।
- 11. कम्प्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को देकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- 12. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)

संयुक्त (नवराक)(प्रारंध-) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

### राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प. १(२४)प्राशि/आयो. / २०१५/

#### जयपुर, दिनाकः 01 फरमरी 2017

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर निदेशक, माध्यनिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

विषय :-- ग्राम पंचायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने के लिये चयन हेतु दिशा निर्देश ।

राजस्थान पंथायती राज नियम, 1996 के नियम 259 के उप-नियम 9 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की आज्ञा क्रमांकः प. 15(1)प्राशि/संस्थापन/2017 दिनांक 28.01.2017 के द्वारा माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधान को ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किया जाकर उनके कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं। संस्थाप्रधान की ग्राम पंचायत का पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित करने के आदेश एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित करने के आदेश एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित करने के आदेश एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों की जिलेवार/पंचायतवार सूची विमागीय वेबसाईट्स shiksha.rajasthan.gov.in, www.rajssa.nic.in एवं www.rajrmsa.nic.in पर उपलब्ध है।

पंचायती के परिपन्न क्रमांक যাত্য विभाग एफ. 40MTW /विधि/पंरावि/2016/832 दिनांक 08.11.2016 . से ग्राम पंचायतों में 6000/- 'रूपये प्रतिमाह के नियत .मानदेय पर पूर्णतया अस्थाई आधार पर एक वर्ष हेतु ग्राम पंचायत सहायक लगाये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश 'जारी किये गये हैं (संलग्न परिशिष्ठ 'क')। इस परिपन्न में पंचायती राज विभाग के परिपन्न क्रमांक एफ 4 ( )MTW /विधि/पंशवि/2016/68, दिनांक 27.01.2017 (संलग्न परिशिष्ठ ख) के द्वारा संशोधन करते हुए ग्राम पंचायत सहायक के कर्तव्यों एवं दायित्वों में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतू सौंपे गये विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के लिये संपादित किये जाने वाले कायौं में सहयोग प्रदान करना भी सम्मिलित किया गया है। इसी परिपत्र से ग्राम पंचायत सहायक के चयन को ग्राम पंचायत के पदेन प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से

1

संस्वद्ध विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) की कार्यकारी समिति के द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है एवं चयन किये जाने की प्रदिय हेतु वांछित दिशा–निर्देश तथा इस प्रयोजनार्थ गठित की जाने वाली जिला स्तरीय समिति के लिये निर्देश जारी करने हेतु स्कूल शिक्षा विमाग को अधिकृत किया गया है.

पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.4()MTWविधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01,2017 के क्रम में ग्राम पंचायत सहायको के चयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है :--

- 1. पंचायती राष्ट्रम विभाग के परिपुत्र क्रमांक एफ. 4()MTW / विधि / पंरावि / 2016 / 68 दिनांक 27,01.2017 के अनुसार गाम पंचायत सहायक का चयन ग्राग पंचायत के पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से सम्बद्ध विद्यालय की SDMC की कार्यकारी समिति के द्वारा किया जायेगा। इस हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (विद्यालय का संस्था प्रधान एवं अध्यक्ष SDMC) द्वारा दिनांक 17.02.2017 को SDMC की कार्यकारी समिति की विरोध बैठक बुलाई जावेगी। बैठक में ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को विरोध आमंत्रित सदस्य के रूप ने बुलाया जायेगा।
- 2. जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी–प्रथम द्वारा पंचायती राज विभाग के परिपत्र क्रमांक एक. 40MTW / विधि / पंरावि / 2016 / 832 दिनांक 08.11.2016 के परिशिष्ठ–1 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को आवंटित ग्राम पंचायत सहायक की संख्या के आधार पर संलग्न परिशिष्ठ–ग के प्रारूप के अनुसार सूचना / विझप्ति जिला स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक 09.02.2017 से पूर्व प्रकाशित की जावेगी।
- 3 बिन्दु संख्या 2 की कार्यवाही के पश्चाल पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (विद्यालय का संस्था प्रधान एवं अध्यक्ष SDMC) द्वारा ग्राम पंचायत सहायक के चयन के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना/विज्ञप्ति संलग्न परिशिष्ठ-घ के अनुरूर दिनाक 10.02.2017 से पूर्व विद्यालय तथा ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बार्ड पर चरना की जावेगी।
- 4. याम पंचायत सहायक हेतु अहंतायें पंचायती राज विभाग के परिषत्र कमाक एफ 40MTW / विधि / पंरावि / 2016 / 68 दिनांक 27 01.2017 के अनुसार होगी ।
- 5. आवेदक द्वारा परिशिष्ठ-च पर सलग्न प्रारूप में अपना आवेदन पत्र मय स्वप्रमाणित बदस्तावेज सम्बन्धित SDMC की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष (पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान) अथवा उसके द्वारा नामित SDMC के सदस्य सचिव को दिनांक 16.02.2017 तक विद्यालय समय (प्रात 9.30 स साथ 3.40

2

वज तक) में व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्रस्तुत किया आवेगा। एक आवेदक एक ही ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक ग्राम पंचायलों में आवेदन करना पाया जाने पर दोनों अथवा सभी आवेदन पत्र रद्द समझे जायेंगे।

- 6. ग्राम पंचायत सहायक के आवेदन हेतुं रूपये 100/ नकद संबंधित विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) में जमा कराये जावेंगे तथा आवेदन पत्र के साथ रसीद संलग्न की जावेगी।
- 7 आयेदक को आवेदन पत्र के साथ उसी जिले का निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र, आयु संबंधी प्रमाण–पत्र एवं कार्य का अनुमय प्रमाण–पत्र (यदि हो तो) संलग्न किया जाना अवश्यक होगा।
- 8 सभी ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत सहायक के चयन हेतु दिनांक 17 02 2017 को दोपहर 10.00 बजे SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित कर आवेदकों के साक्षात्कार एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर चयन की प्रक्रिया उसी दिन पूर्ण की जायेगी। आवेदक को व्यक्तिगत रूप से चयन के दिन सम्बन्धित विद्यालय में SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान साक्षात्कार हेनु मूल दस्तावेजो सहित प्रात 9:00 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा। आवेदक कं अनुपस्थित होने पर आवेदन पत्र पर वियार नहीं किया जावेगा। इस बैठक में ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जावेगा।
- 9. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (विद्यालय का संस्था प्रधान एवं अध्यक्ष SDMC) द्वारा SDMC की कार्यकारी समिति की बैठक के दिन ही समस्त चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर चयनित आवेदकों के नाम मय समस्त दस्तावेज संबंधित ब्लॉक प्रारमिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किये जावेंगे।
- 10. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अगले कार्य दिवस (दिनांक 21.2.2017) को पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव मय समस्त आवेदन पत्रों एवं सलग्न दस्तावेजों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से अनुमोदित करवाये जाने की अनुशंघा हेत निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष, प्रस्तुत किया जायेगा :-
  - (i) जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा प्रथम अध्यक्ष
  - (ii) जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय सदस्य
  - (iii) जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा प्रथम सदस्य
  - (iv) संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 🚽

सदस्य सचिव

उपरोक्त कार्यवाही हैतु बैठक का आयोजन जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा प्रथम/जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय में किया जावेगा।

- 11.उपरोक्त समिति द्वारा अनुशंसित सूची को जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के समक्ष दिनाक 23.02.2017 तक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा एव अनुमोदन पश्चात् सम्हन्धित पटन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ग्राम पचायत के ग्राम सेवक एव पदेन, सचिव को पंचायती राज विभाग के परिपन्न क्रमांक एफ. 40MTW /विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.2017 के अनुसार औपचारिक आदेश जारी करने हेतु उपलब्ध करायाया जावेगा। सम्बन्धित ग्राम सेवक एवं पदेन सन्धिव द्वारा अनुमोदित सूची प्राप्त होने वाले दिन ही आदेश जारी किया जावेगा।
- 12.जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा नहीं किए जाने अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी. जिला परिषद द्वारा अनुमोदन नहीं किये जाने की स्थिति में स्पबन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय विकास एवं प्रबधन समिति (SDMC) ) की कार्यकारी समिति की पुनः बैठक आयोजित कर नये नाम प्रस्तावित किए जाने की कार्यदाही की जायेगी जिसकी तिथि का निर्धारण निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा झारा राज्य सरकार की अनुमति से किया जावेगा।
- 13. उपरोक्तानुसार कार्यवाहीं सुनिश्चित कराने हेतु राज्य स्तर पर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग स्तर पर, उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला स्तर पर जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी प्रथम एवं पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय एवं जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वितीय इस कार्य में सम्बन्धित नोडल अधिकारी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त सम्बन्धित को कार्यवाही करने हेतु 'दशा निर्देश जारी कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

यह दिशा निर्देश पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग में सक्षम स्तर पर अनुमोधन जपरांत जारी किये जाते हैं।

संलग्न :-- उपरोक्तानुसार ( (पृष्ठ संख्या 6 से 17 तक)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- 2 टिशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायली राज विभाग।
- 3 विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्यमंत्री (प्राoशिo –स्वतंत्र प्रभार)।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- 5 निजी सचिय, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभगग।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- 10. जिला कलक्टर्स -- समस्त।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिo मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद –सगरत।
- उप निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।
- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।
- 14. विकास अधिकारी -- समस्त।
- 15. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी -- समस्त।
- रक्षित पत्रावली।

12/2017 संयुक्त शासन सचिव

#### राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प.1(24)प्राशि/आयो./2015/

Se a

पायपुर, दिनांकः 06 02 2017

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर निदेशक. माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान. बीकानेर

विषय :- ग्राम पंधायत सहायकों को मानदेय पर लगाये जाने के लिये जयन हेल् दिशा निर्देश ।

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 01.02.2017 में ग्राम पंचादम सहायण के आवदेक की आयु के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है –

"आवेदक की आयु दिनांक-01.01.2017 को 21 दर्ष से अन्यून होनी आवरयक है।"

तदनुसार संशोधित परिशिष्ठ 'घ' संलग्न प्रेपित है।

संलग्नः संशोधित परिशिष्ठ –''घ''

21139

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदयाः
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, यामीण विकास एवं पंचायती राज विमान।
- विशिष्ट सहायकः शिक्षा राज्यमंत्री (स्थतंत्र प्रभार) एवं पंचायती राज राज्यमंत्री
- (प्राoशिo -- स्वतंत्र प्रभार)।
- ब. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- 6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 6. निजी सचिव शुरुसन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- 7. निजी सचिव, अधि्वत एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- 8. परियोजना निदेशक, राजस्थान माव्यमिक शिक्षा गरिगद, जयपुर ।
- आयुक्त, राजरथान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- 10. जिला कलक्टर्स समस्त।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समाल।
- 12. उप'निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।

13. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, समरत ।

14. विकास अधिकारी - समस्त।

.#PU

15. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – सनस्त।

2/2012 ( मधनीत कुम्लर ) 

### कार्यालय विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) (विद्यालय का नाम मय ग्राम ग्राम पंचायत पंचायत समिति पूर्व जिले का नाम)

कमांक:

दिनांकः

#### सूचना

- - आवेदक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से रोनियर सैकण्डरी था
     इसके समकक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
  - आवेदक का जिस जिले में ग्राम पंचायत स्थित है; उस जिले का नियासी होना आवश्यक है।

(iii) आवेदक की आयु दिस्रोक 11,2017 को 21 दर्ष से अन्यून होनी आवश्यक हैं। अावेदन पत्र विद्यालय कार्यालय में उपलब्ध है। इच्छुक आवदक द्वारा फंपये 100/7 नकद संबधित विद्यालय की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) में जमा कराये जाकर विद्यालय कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना आवेदन पत्र मेंय रवप्रमाणित दस्तावेज संस्था प्रधान अधेवी उसके द्वारा नामित SDMC के सवस्य संचिव को दिनाक 16.02.2017 तक विद्यालय समय (प्रातः 9.30 से साथ 3.40 बजे तक) में व्यक्तिश. उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जायेगा। एक आवेदक एक ही प्राप्त पंचयत में आवेदन कर संकेगा। एक से अधिक ग्राम पंचायतों में आवेदन करना माया जाने प्र दोनों अथवा-सभी आवेदन पत्र रवत समझे जायेगे।

 आवेद्क द्वारा ग्राम पंचायत, सहायक के आवेदन मैंत्र के साथ निग्नलिखित दस्तायेज संलग्न किये जायेंगे :-

शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित) !

St.

### राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांक: प. १५(१)प्राप्ति / २०१७

जयपुर, दिनांक: 1 4 MAR 2018

- 1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग
- 2. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
- 5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राज0 बीकानेर।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
- 7. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा , समस्त।
- जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, समस्त।

# विषय:-- ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा परिपत्र एफ 4() MTW/विधि/पंरावि/2016/68 दिनाक 27.01.2017 जारी किया गया, जिसके अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पृथक से आज्ञा जारी कर ग्राम पंचायत के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किये जाने एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सौंपे गये विभिन्न दायित्वों का निवर्हन करने के लिए सम्पादित किये जाने वाले कार्यों में सहयोग का कार्य ग्राम पंचायत सहायक द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त परिपत्र में ग्राम पंचायत सहायक के चयन, कर्त्तव्य एवं दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है।

तत्नुसार स्कूल शिक्षा विभाग की आज्ञा दिनांक 28.01.2017 द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित किसी एक राजमावि/रामावि के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में अवस्थित राजप्रावि/प्रावि के लिए पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी नामित किया जाकर कर्त्तव्य एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग परिपत्र एफ 4() MTW/विधि/पंरावि/2016/68 दिनांक 27.01.2017 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु ग्राम पंचायत सहायक लगाये जाने वावत् दिशा–निर्देश दिनांक 01.02.2017 एवं 08.02.2017 को जारी किये गये है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कर्त्ताव्य एवं दायित्वों के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा—निर्देश दिनांक 11.04.02017 को जारी किये गये है। विभाग द्वारा पंचायती राज

2.6

विभाग के अनुमोदन उपरांत दिनांक 29.05.2017 द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है (परिशिष्ठ—1)। ग्राम पंचायत सहायकों के दायत्वि एवं कार्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाते है :--

- ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन बाबत् सौंपे गये विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के मासिक निरीक्षण से सम्बन्धित आवंटित सगस्त कार्य करेंगे।
- 3 ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु आयोजित की जाने वाली समस्त बैठकों के आयोजन एवं प्रबंधन से सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 4. ग्राम पंचायत में 6 सें 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा से जोडने के लिए उक्त आयु वर्ग के बच्चों के चिन्हीकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 5 ग्राम पंचायत में अनामाकित/ड्रॉप आउट बच्चों का चिन्हीकरण करते हुए पंचायत की बैठकों/विद्यालय की विकास समिति/प्रबंधन समिति की बैठकों में पंचायत के नागरिकों/अभिभावकों को बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करवाने के संबंध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 6. ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, नामांकन वृद्धि, आधारमूल संरचना विकास आदि के लिए प्रस्ताव तैयार करवाने एवं विद्यालयवार कार्य योजना निर्माण व कियान्वयन के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य।
- 7. ग्राम पंचायत में प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के विकास एवं निर्माण में भामाशाहों/दानदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क एवं सहयोग प्राप्त करने हैतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- ग्राम पंचायत स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य संपादन के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य।
- राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 10. प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत स्तर के विद्यालयों की समस्त प्रकार की सूचनाओं के शाला दर्शन/शाला दर्पण/अन्य पोर्टल पर आदान-प्रदान/अपडेशन/प्रविष्ठि के संबंध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 11. ग्राम पंचायत में स्थित सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावक—अध्यापक परिषद की बैठकों में ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं के बारे में अवगत/जानकारी कराये जाने के सम्बन्ध में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवंटित समस्त कार्य करेंगे।
- 12. ग्राम पंचायत की मासिक बैठकों में प्रारम्भिक शिक्षा की शिक्षण व्यवस्था एवं अन्य गतिविधियों की प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान किये जाने हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आयंटित समस्त कार्य करेंगे।



- 13. ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी) से सम्बन्धित कार्य करेंगे।
- 14. पंचायत सहायक ग्रामीण जन को पंचायती राज संख्याओं द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे।
- 15. रचच्छ भारत अभियान में सकिय योगदान कर पंचायत के नागरिकों को ग्रेरित करेंगे।
- 16. ग्राम पंचायत के राजकीय कार्यों में ग्राम पंचायत सहायकों का सहयोग लिया जा सकता

81

उपरोक्तानुसार पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के नियंत्रण से सम्बन्धित कायों में यदि में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता, अनुशासनहीनता की जाती है तो पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर पंचायती राज विभाग के आदेश कमांक एफ 4() MTW/विधि/पंरावि/2016/832 दिनांक 8.11.2016 के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत सहायक के पृथक्करण की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह किसी भी प्रकार के न्यायिक वाद/अनुतोष के अधिकारी नहीं होंगे।

ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें आवंटित कार्य संतोषप्रद पूर्ण किये जाने का प्रमाणीकरण संबंधित ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को प्रतिमाह 05 तारीख तक **परिशिष्ठ–2** पर उपलब्ध प्रारूप में प्रेषित किया जायेगा। तद्नुसार ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा ग्राम पंचायत सहायक को मानदेय भुगतान किया जायेगा।

यह पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्-

- 1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा एवं पंचायती राज (प्राशि) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राभीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- जिला कलक्टर समस्तं।
- उप निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
- 10. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
- 12. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त।
- 13. रक्षित पत्रावली।



UNDERT -T

राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

कमाक प. 15(1)प्रासि/2017

जयपुर, दिनाकः 2 9 MAY 2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–समस्त।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक– समस्त।

विषय:- ग्राम पंचायत सहायकों के मुख्यालय के संबंध में।

राज्य सरकार की आज्ञा कमांक प. 15(1)प्राशि/2017 दिनाक 28.01.2017 एवं पत्रांक प. 1(24)प्राशि/आयो / 2015 दिनाक 01.02.2017 के कम में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा।

यह पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के संक्षम स्तर से अनुमोदित है।



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया। 1

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।  $\hat{2}$
- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग(स्वतंत्र प्रभार)। 3.
- निजी सचिव, मुख्य सचिव। 14
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एव पंचायली राज विमाग।
- निजी सचिव शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विमाग। 7
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। 8
- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। 4
- जिला कलवेटर समस्त। 10.
- उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त। 11
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त। 12.
- ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त । 13
- पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त। 14.
- ग्राम सेवक एवं पर्वन सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त। 15
- रक्षित पत्रावली। 16.

शासन उप सचिव

कार्यालय पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत, ....... पं.स. ...... जिला..... क्रमांक : दिनांक :

ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,

ग्राम पंचायत

पंचायत समिति .....

विषय :-- ग्राम पंचायत सहायकों के माह ..... के मानदेय भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाणीकरण।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रमाणित किया जाता है कि माह ...... में निम्नांकित ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा उनको आवंटित कार्य का संतोषप्रद तरीके से निष्पादन किया गया है।

अतः इन्हें माह ..... के मानदेय का भुगतान किया जावे।

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी



ŝ

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चित्तौडगढ

क्रमांकः -- जिशिअचि-माध्य/संस्था-1/पंचायत सहायक/2017/254 दिनांकः-•3.08.2017

समस्त संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि जिला चितौडगढ दारा- नोडल संख्याप्रधान

> विषय:- ग्राम पंचायत सहायको से कार्य संपादन के संदर्भ में । प्रसंग:- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ का पत्रांक: विकास/प-2(2-2)2017 / 1509 दिनांक 25.07.2017 ।

विषयान्तीगत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि संलंग्न पत्र में प्रवत्त निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों से कार्य संपादन हेतु शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राज0सरकार जयपुर का अ0शा0पत्र दिनांक 10.07.2017 की प्रति पत्र के साथ संलंग्न कर प्रेषित की जा रही है।

पत्र में वर्णितानुसार पंचायती राज0विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यो में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों को निर्धारित मुख्यालय पर रह कर कार्य संपादित किया जाना है।

कृपया संलंग्न पत्र में वर्णित निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सहायको से अपेक्षित कार्य संपादन कराना सुनिष्चित करें । संलंग्नः पत्र 03

मार दिवेदी)

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चित्तौडगढ

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--1-श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ । 2-श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चितौडगढ । 3-जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चितौडगढ । 4-विकास अधिकारी समस्त पंचायत समितियां जिला चित्तौडगढ । 5-समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जिला चितौडगढ ।

(हेमन्त के जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक चित्तौडगढ

### कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौडगढ

क्रमांक / विकास / प–2(2–2)2017 / / ५०१ दिनांक : 2.5 जुलाई, 2017 निमित :

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, चित्तौडगढ

विषय – ग्राम पंचायत सहायकों से कार्य सम्पादन करवाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयार्न्तगत शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का अ.शा. पत्र दिनांक 10.07.2017 की छाया प्रति इस पत्र के साथ भिजवाई जा रही है।

पत्र में वर्णितानुसार पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों को निर्धारित मुख्यालय पर रहकर कार्य सम्पादित किया जाना है।

अतः ग्राम पंचायतों सहायकों से अपेक्षित कार्य सम्पादन करवाये जाने के संबंध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Est. I D(20) 25(2) 25(2)

Sd

(इन्द्रजीत सिंह) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि – निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, चित्तौडगढ

- 2. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शिक्षा / प्रा.शिक्षा), चित्तौडगढ
- 3. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समितियां, जिला चित्तौडगढ
- समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, जिला चित्तौडगढ संलग्न : उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर चित्तौडगढ

Email Id - oscolcor@gmail.com, devcolcor@gmail.com C:vpd/001 DEVELOPMENT SECTION 6-1-2010/EDUCATION/f-2(2-2)2007.doc Phone No. 01472-247997

नरेश प्ताल गंगवार, आई ए एस. शासन सचिव

स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर

अ0शा0पत्रांक : प. 15(1)प्राशि/2017 जयपुर, दिनांक: 1.0 JUL 2017

lev

14.7.17

रिष्य झी इन्द्रजीत,

मैं आपका ध्यान इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनाक 29.05.2017 की और आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया है (पत्र की प्रति संलग्न)। ग्राम पंचायत सहायक के मुख्यालय की उक्त व्यवस्था पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत की गई है।

But up on file

पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों हेतु निर्धासित मुख्यालय पर रहकर कार्य सम्पादित किया जाना है। अतः आपके स्तर से उक्त व्यवस्था की समीक्षा की जाकर ग्राम पंचायत सहायकों से अपेक्षित कार्य सम्पादन सुनिश्चित कराया जावे।

मैं आशा करता हूँ कि आप व्यक्तिशः ध्यान देकर उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवनिष्ठ. (नरेश पल गंगवार)

श्री इन्द्रजीत सिंह, जिला कलक्टर, चित्तौडगढ।

### राजस्थान सरकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

### क्रमाक प. 15(1)प्राशि / 2017

## जयपुर. दिनांकः 2 9 MAY 2017

- 1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।
- 2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–समस्त।
- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक- समस्त।

### विषय – ग्राम पंचायत सहायकों के मुख्यालय के संबंध में।

राज्य सरकार की आज्ञा कमांक प. 15(1)प्राशि/2017 दिनांक 28.01.2017 एवं पत्रांक प. 1(24)प्राशि/आयो./2015 दिनांक 01.02.2017 के कम में पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा।

यह पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

सचिव

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू-

- 1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
- 2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री,शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग(स्वतंत्र प्रभार)।
- 4. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।

10. जिला कलक्टर - समस्त।

- 11. उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
- 12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
- 13. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
- 14. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
- 15. , ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, समस्त।
- 18. रक्षित पत्रावली।

राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांकः प=15(1)प्राशि / 2017 /

जयपुर, दिनांकः

.1 5 MAY 2018

1 आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।

- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- मख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

विषय :- ग्राम पंचायत सहायकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के अनुमोदन उपरांत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.05.2017 को ग्राम पंचायत सहायकों का मुख्यालय संबंधित पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय निर्धारित किया गया।

पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत ग्राम पंचायत सहायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में दिनांक 14.03.2018 को दिशा–निर्देश जारी किये गये, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत सहायक द्वारा, पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें आवंटित, कार्य किये जाना निर्धारित किया गया।

दिनांक 10.05.2018 से 19.06.2018 तक राजकीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अतः इस दौरान ग्राम पंचायत सहायकों का जॉब चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायत के निर्दिष्ट कार्यों में सहयोग लिया जा सकता है तथा विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश पूर्ण होते ही दिनांक 20.6.18 को पुनः ग्राम पंचायत सहायकों को पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावे।

भवदीय Sel

(संजय कुमार) शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ।
- 3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ।
- आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- 5. परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर ।
- उप निदेशक प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।
- 7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, समस्त ।
- 8. विकास अधिकारी समस्त।
- ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी समस्त।
- 10, पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी–समस्त।
- 11. रक्षित पत्रावली।

(जगदीश नारायण जाट) अनुभागाधिकारी

# कार्यालय जिला परिषद (पंचायत राज प्रकोष्ठ), जालोर

विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त जिला जालोर

> विषयः पंचायत सहायकों के कार्य विभाजन बाबत संदर्भः पंचायतीराज विभाग का परिपन्न क्रमांक 68 दिनांक 27.01.2017, स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर का पत्र दिनांक 1.2.2017, प्रारभिक शिक्षा विभाग का पत्र दिनांक 29.05.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 6041–44 दिनांक 4.10.2017

उपरोक्त विषय में लेख है कि उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत सहायकों के कार्य विभाजन एवं मुख्यालय बाबत राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्रदत्त, किये गये है । इस कम में इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व के सभी आदेशों को अतिकमित करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में निम्न निर्देश जारी किये जाते है :

- 1 जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सहायक नियोजित किये जा चुके है उनके कार्य विभाजन किये जाने है।
- 2 यह कार्य विभाजन ग्राम पंचायत सुहायकों के नियुक्ति अधिकारी यथा ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाना है. ।

क्र.सं.	नाम् पंचायत सहायक्		आवंटित कार्य
1		a.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
2	2	* 83	🚬 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
3			महात्मा गांधी नरेगा योजना
4 .			,शिक्षा कार्य

3 कार्य विभाजन निम्न प्रकार किया जायेगा :

स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा कार्यों में सहयोग हेतु लगाये गये ग्राम पंचायतों सहायको का मुख्यालय संबंधित पदेन, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय रहेगा।

- 4 पदेन सचिव एवं ग्राम सेवक के द्वारा जारी आदेशों की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित की जायेगी तथा सभी बिकास अधिकारी इस आशम का प्रमाण पत्र तीन दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे कि सभी ग्राम पंचायतों में उक्त निर्देशों की पालना में कार्य विभाजन कर दिया गया है तथा सभी ग्राम पंचायत सहायकों के द्वारा कार्य प्रारभ कर दिया गया है ।
- 5 जो भी ग्राम पंचायत सहायक ग्राम सेवक के द्वारा जारी आदेशो की अनुपालना नहीं करता है तो पंचायतीराज विभाग के परिपत्र क्रमांक 832 दिनांक 08.11.16 के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। उसका वेतन नहीं बनाया जायेगा इस हेतु निर्देश सभी ग्राम सेवकों को जारी किये जावें।

6 उक्त आदेशों को तुरन्त प्रभाव से सभी ग्राम सेवकों एवं पीईईओ संबंधित को अनुपालना हेतु प्रेषित करने का सुनिश्चितता विकास अधिकारी करेंगे ।

इस पत्र की अनुपालना में विकास अधिकारी यथाशीघ्र संबंधित से भुगतान आदेश जारी करवाना सुनिश्चत करेगें

( हरि राम मीना)
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 जिला परिषद जालोर

कमांकःसमसंख्यक/2017/8291--830'2. प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ -

दिनोंक: 15/12/17

- श्रीमान प्रमुख, जिला परिषद, जालोर
- 2 श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर
- 3 प्रधान पंचायत समिति समस्त
- 4 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) जालोर को प्रेषित कर लेख है कि निर्देशों की प्रति सभी पीईईओ को भेजकर पालना सुनिश्चित करावें।

438

- 5 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारभिक शिक्षा) जालोर
- 6 कार्यालय प्रति

( हरि राम मीचा-) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालोर

D'f.g.m'PA Section 2017 II File